[2022] 9 एस. सी. आर 85

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस।

वी.

थॉमस जोसेफ

एलियास थॉमस एम. जे. और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील सं। 9252-9253 2022 का)

16 दिसंबर, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और जे. बी. पारदीवाला, जे. जे.]

विद्युत अधिनियम, 2003: एसएस। 126 और 127-का अनधिकृत उपयोग

बिजली-उपभोक्ताओं द्वारा जुड़े हुए भार/अनुबंधित भार से अधिक बिजली की खपत, चाहे वह राशि

' (बी) से लेकर (एस) तक के स्पष्टीकरण के तहत बिजली का अनधिकृत उपयोग। 126 (6)

– आयोजित किया गयाः एसएस। 126 और अधिनियम की धारा 127 अपने आप में एक पूर्ण संहिता का गठन करती है-अभिव्यक्ति 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' का अर्थ है

जैसा कि एस में दिखाई देता है। 126 - एस का उद्देश्य। 126 बिजली के दुरुपयोग/अनधिकृत उपयोग को रोकने के साथ-साथ राजस्व नुकसान की रोकथाम सुनिश्चित करना है-उसी परिसर में स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की खपत और उसी उद्देश्य के लिए शुल्क में परिवर्तन के बिना 'अनधिकृत' का गठन होता है।

(बी) (iv) से एस के स्पष्टीकरण के तहत बिजली का उपयोग। 126 अधिनियम केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014-आर। 153 .

प्रशासनिक कानूनः प्रत्यायोजित विधान-नियम बनाना

शक्ति-यदि कोई नियम कानून द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे जाता है, तो उसे अमान्य घोषित करना पड़ता है-यदि कोई नियम किसी भी प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है जिसके लिए शक्ति प्रदान नहीं की गई है, तो यह अमान्य हो जाता है-मूल परीक्षा यह निर्धारित करना और विचार करना है कि किस स्रोत के लिए शक्ति प्रदान की गई है। शक्ति, जो नियम से संबंधित है-नियम या विनियम बनाकर कानून बनाने की प्रत्यायोजित शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि बिजली अधिनियम, 2003 के प्रावधानों द्वारा विचार नहीं किए गए मूल अधिकारों या दायित्वों या अक्षमताओं को अस्तित्व में लाया जा सके।

केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014: रेगन। 153 (15)

चाहे रेगन। 153 (15) एस के अल्ट्रा वायर्स हैं। 126 विद्युत अधिनियम, 2003-आयोजितः एक नियम बनाने वाले निकाय को इसके दायरे में काम करना चाहिए

शरीर।

मूल अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त नियम बनाने का अधिकार-नियम या विनियम बनाने की अपनी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ति केवल क़ानून से प्राप्त होती है, उसे

यह आवश्यक रूप से क़ानून के दायरे में कार्य करता है। 153 (15) प्रभाव दिया जाना है, तो वही s के उद्देश्य को निराश करेगा। 126 अधिनियम का-इसलिए, विनियमन। 153 (15) इस आधार पर अमान्य है कि यह एस के प्रावधानों के साथ असंगत है। 126 विद्युत अधिनियम, 2003-अति अधिकार का सिद्धांत।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. यह केवल उसी परिसर में और उसी उद्देश्य के लिए स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की ओवरड्रॉवल का मामला नहीं है, जिसमें सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क में कोई बदलाव शामिल नहीं है। लागू शुल्क समान रह सकता है; अधिक निकासी एक ही परिसर में हो सकती है और उसी उद्देश्य के लिए, राजस्व का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की अधिक निकासी पूरी आपूर्ति प्रणाली को बाधित कर सकती है, जिससे इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और यहां तक कि वोल्टेज की बढ़ती मांग भी कम हो सकती है। उच्च न्यायालय ने गलती की है इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए कि उपभोक्ता से ऊर्जा शुल्क का दोगुना शुल्क नहीं लिया जा सकता है यदि उपभोक्ता उसी परिसर में स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक का उपयोग करता है और उसी उद्देश्य के लिए, जिसमें शुल्क में कोई बदलाव शामिल नहीं है। [पैरा 56 और 58] [136-बी-सी; 137-ए-बी]

2. यह तय कानून है कि विनियमन बनाने की शक्ति नहीं हो सकती है।

मूल अधिकारों को अस्तित्व में लाने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिनका अधिनियम 2003 के तहत विचार नहीं किया गया है। यदि कोई नियम क़ानून द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे जाता है, तो उसे अमान्य घोषित करना होगा। यदि कोई नियम किसी प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है जिसके लिए शक्ति प्रदान नहीं किया गया है, यह अमान्य हो जाता है। मूल परीक्षण शक्ति के स्रोत को निर्धारित करना और उस पर विचार करना है, जो नियम से संबंधित है। इसी तरह, एक नियम मूल क़ानून के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह इससे आगे नहीं जा सकता है। [पारस 63 और 64] [139-ई-एच]

3. पराधिकार के सिद्धांत में परिकल्पना की गई है कि एक नियम बनाना

निकाय को मूल अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार के दायरे में कार्य करना चाहिए। चूँकि नियम या विनियम बनाने वाले निकाय के पास नियम बनाने की अपनी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ति केवल क़ानून से प्राप्त होती है, इसलिए उसे अनिवार्य रूप से केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओ. आर. एस. होना चाहिए।

वी. थॉमस

जोसेफ

कानून के दायरे में कार्य करना। प्रत्यायोजित कानून मूल अधिनियम के दायरे से परे यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो यह अल्ट्रा वायर्स है और इसका कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। पराधिकार कई तरीकों से उत्पन्न हो सकते हैं; मूल अधिनियम द्वारा जो प्रदान किया जाता है उस पर शक्ति की साधारण अधिकता हो सकती है; प्रत्यायोजित कानून हो सकता है

मूल अधिनियम या क़ानून या सामान्य कानून के प्रावधानों के साथ असंगत; मूल अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकता के साथ गैर-अनुपालन हो सकता है। [पैरा 65] [140-बी-डी]

4. अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने के लिए नियम या विनियम बनाकर कानून बनाने की प्रत्यायोजित शक्ति, बिना कोई दिशा-निर्देश निर्धारित किए एक सामान्य प्रतिनिधि मंडल है।

अधिनियम 2003 के प्रावधानों द्वारा विचार नहीं किए गए मूल अधिकारों या दायित्वों या अक्षमताओं को अस्तित्व में लाने के लिए प्रयोग किया गया। प्रतिस्थापित करने के लिए नियम या विनियम नहीं बनाए जा सकते हैं सक्षमकारी अधिनियम के प्रावधान लेकिन इसके पूरक के लिए। सहायक या अधीनस्थ विधायी प्रतिनिधि मंडल की अनुमति है।

कार्य, या, जिसे काल्पनिक रूप से कहा जाता है, विवरण भरने की शक्ति। [पारस 78 और 80] [144-एच; 145-ए, डी] 5. आयोग द्वारा बनाई गई संहिता 2014 का विनियम 153 (15) अधिनियम 2003 की धारा 126 के साथ असंगत है। अगर

विनियमन 153 (15) को प्रभावी बनाया जाना है, तो यह अधिनियम 2003 की धारा 126 के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। यह केवल राजस्व के नुकसान का सवाल नहीं है। दोहराव की कीमत पर, हम इस तथ्य पर जोर देते हैं कि बिजली की अधिक निकासी बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल है क्योंकि यह पूरी आपूर्ति प्रणाली को गियर से बाहर कर सकती है, इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और यहां तक कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को भी कम कर सकती है। [पैरा 82] [148-बी-सी]

सुखदेव सिंह और अन्य बनाम। भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी और एक अन्य (1975) 1 एस. सी. सी. 421: [1975]

3 एस. सी. आर. 619-अनुसरण किया गया। कार्यकारी अभियंता, दक्षिणी विद्युत आपूर्ति

कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (साउथको) और एक अन्य v.

श्री सीताराम राइस मिल (2012) 2 एस. सी. सी. 108 [2011] 15

एस. सी. आर. 211-पर निर्भर।

अन्य (1983) 2 एस. सी. सी. 402: [1983] 2 एससीआर 665; कुंज बिहारी लाल बुटैल और अन्य बनाम। एच. पी. और अन्य राज्य (2000) 3 एस. सी. सी. 40: [2000] 1 एस. सी. आर. 1054; सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद और एक अन्य (2003) 3 एससीसी 321: [2003] 1 एस. सी. आर. 975; ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य v. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2009) 15 एस. सी. सी. 570: [2009] 9 एससीआर 22; स्टेट ऑफ टी. एन. एंड अदर वी. पी. कृष्णमूर्ति और अन्य (2006) 4 एससीसी 517: [2006] 3 एससीआर 396; प्रताप

चंद्र मेहता बनाम। मध्य प्रदेश राज्य बार काउंसिल

प्रदेश और अन्य (2011) 9 एस. सी. सी. 573 [2011] 11 एस. सी. आर. 965; डॉ. रामचंद्र प्रसाद सिंह बनाम। अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद और अन्य (2004) 8 एस. सी. सी. 747: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 692; मैकएलडॉनी बनाम। फोर्ड (1971) एसी 632: (1969) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 179-संदर्भित।

" फ्रांसिस बेनिओन की सांविधिक व्याख्या, तीसरी संस्करण में प्रत्यायोजित विधान।) – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 15 एससीआर 211

उस पर भरोसा करें

पै

रा 15

(2010) 4 एस. सी. सी. 539

संदर्भित किया गया है

पै

रा 59

[2013] 13 एससीआर 388

संदर्भित किया गया है

पै

रा 62

[2000] 3 एससीआर 1019

संदर्भित किया गया है

पै

रा 67

[1975] 3 एससीआर 619

पीछा किया

पै

रा 68

[1983] 2 एससीआर 665

पै

रा 69

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 एससीआर 1054

संदर्भित किया गया है

पै

रा 70

[2003] 1 एससीआर 975

संदर्भित किया गया है

पैरा 71 केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. वी. थॉमस

जोसेफ

[2009] 9 एससीआर 22

संदर्भित किया गया है

पै

रा 72

[2006] 3 एससीआर 396

संदर्भित किया गया है

पै

रा 74

[2011] 11 एससीआर 965

संदर्भित किया गया है

पै

रा 75

[2004] 5 पूरक। एससीआर 692

पै

रा 76

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील Nos.9252

9253 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 12.04.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2015 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.22644 में एर्नाकुलम में और 2015 के डब्ल्यू. पी. (सी) No.22644 में 2017 की समीक्षा याचिका No.598 में दिनांकित <आई. डी. 3।

के साथ

सिविल अपील सं। 9256-9257 , 9254-9255 , 9262-9263 , 9264-9265 ,

9266-9267 , 9268-9269 , 9270-9271 , 9258-9259 और 2022 का 9260-9261।

बसंत आर., सीनियर एड. , रागेंथ बसंत, पी. वी. दिनेश, विष्णु

पद्मांगनत, अजय कृष्णा, राहुल राज मिश्रा, अश्विनी कुमार सिंह, दिनेश के., अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

निशी राजन शोंकर, श्रीराम पी., अब्राहम सी. मैथ्यू, अनु के.

जॉय, आलिम अनवर, मोहम्मद सादिक टी. ए., कुरियाकोस वर्गीज, वी. श्यामोहन, अक्षत गोगना, सुश्री ऐश्वर्या हरिहरन, मैसर्स। केएमएनपी लॉ, धनंजय मिश्रा, सी. के. सासी, अब्दुल्ला नसीह। वी. टी., सुश्री मीना के. पौलोस, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. सभी शीर्षक विशेष अवकाश याचिकाओं में अनुमति दी गई है।

2. चूँकि सभी शीर्षक याचिकाओं में उठाए गए मुद्दे समान हैं

और चुनौती केरल के उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.04.2017 द्वारा पारित स्वयं के उसी निर्णय और आदेश के लिए भी है जो रिट के एक समूह को तय करता है। यहाँ उत्तरदाताओं द्वारा दायर आवेदन, जिन्हें समान रूप से सुनवाई के लिए लिया गया था और इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा निपटाया जा रहा है।

3. याचिकाओं का यह समूह केरल राज्य के इशारे पर है।

विद्युत बोर्ड ("बोर्ड" या "के. एस. ई. बी".) और [2022] 9 एस. सी. आर. की उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केरल ने 2015 की रिट याचिका (सी) संख्या 22644 और संबद्ध याचिकाओं, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय ने घोषणा की कि उच्च शुल्क में बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में मूल्यांकन ऐसी उच्च शुल्क को आकर्षित करने वाली सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर किया जाएगा, जिसके लिए आपूर्ति की गई बिजली का अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया था, न कि सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी जिसके लिए उपभोक्ता संबंधित है। उच्च न्यायालय आगे बढ़ा

आगे यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि उपरोक्त का अपवाद एक ऐसे उपभोक्ता के मामले में होगा जो बिजली की अधिक निकासी का दोषी है

कृत्रिम साधनों से या छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से, बिजली अधिनियम 2003 की धारा 126 (6) (संक्षेप में, 'अधिनियम 2003') के तहत मूल्यांकन को देय निश्चित शुल्क से केवल दोगुना किया जा सकता है और ऐसे उपभोक्ता को दोगुना ऊर्जा शुल्क का भुगतान करने का दायित्व नहीं दिया जा सकता है। सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू, जब तक कि इस तरह के अतिरिक्त जुड़े भार को नियमित नहीं किया जाता है या अनुबंध की मांग में वृद्धि के लिए मौजूदा वितरण प्रणाली के उन्नयन या आपूर्ति के वोल्टेज स्तर में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होती है।

फैक्ट मैट्रिक्स

(उपभोक्ता) जुड़े हुए भार/अनुबंधित भार से अधिक अधिनियम 2003 की धारा 126 (6) के स्पष्टीकरण (बी) के तहत 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के लिए राशि।

5. अपीलकर्ता बोर्ड के तहत निगमित एक कंपनी है

कंपनी अधिनियम, 1956 (संक्षेप में, 'अधिनियम 1956') और केरल सरकार द्वारा नियंत्रित है। यह पीढ़ी के व्यवसाय में लगा हुआ है,

केरल राज्य में बिजली का पारेषण और वितरण। 6. वर्तमान मुकदमे में, सभी प्रतिवादी एल. टी. (लॉ टेंशन) कनेक्शन वाले वाणिज्यिक/औद्योगिक उपभोक्ता हैं। यह विवाद में नहीं है कि अपील बोर्ड के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के समय, सभी उपभोक्ता जुड़े हुए/अनुबंधित भार से अधिक बिजली लेते पाए गए थे। जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या उत्तरदाताओं (उपभोक्ताओं) का मूल्यांकन केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस के बराबर दर पर किया जा सकता है।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अधिनियम 2003 की धारा 126 (6) में निर्धारित शुल्क का दोगुना? 7. उपभोक्ता केरल उच्च न्यायालय के समक्ष गए और अधिनियम 2003 की धारा 126 (6) के तहत जुर्माने की मात्रा पर एक आधिकारिक घोषणा की मांग करने वाली सम्मानित रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी। इस स्तर पर यह कहना अनुचित नहीं हो सकता है कि

उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के दिनांक 17.08.2015 के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए संदर्भ के आदेश के बल पर सुनवाई के लिए याचिकाओं को लिया, जिसमें कहा गया था कि

अधिनियम 2003 की धारा 126 (6) के तहत जुर्माने की मात्रा निर्धारित करना आवश्यक था क्योंकि उच्च न्यायालय में रोज कई याचिकाएं दायर की जा रही थीं। अधिनियम 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (ii) और अधिनियम 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) के तहत आने वाले 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के तहत आने वाले 'अतिरिक्त/अतिरिक्त भार' से जुड़े दंड लगाने वाले आदेशों को चुनौती देने के साथ, जिन मामलों में ऊर्जा शुल्क पहले से ही लागू हैं।

उपभोक्ताओं द्वारा मापा और भुगतान किया जाता है। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि अधिनियम 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (आई), (आई) और (वी) के तहत आने वाले मामलों पर एक अलग पैमाना लागू करना पड़ सकता है क्योंकि ऊर्जा शुल्कों को मापा नहीं जाता है।

8. केरल उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने सभी संबंधित उपभोक्ताओं को सुना और निम्नानुसार निर्णय दिया:

" 7.16 . तदनुसार, पैरा में। 87 सीताराम राइस मिल के मामले (उपरोक्त) में निर्णय के अनुसार, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि जहां भी उपभोक्ता स्वीकृत और जुड़े हुए भार से अधिक बिजली का उपभोग करके समझौते की शर्तों, विनियमों और अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो ऐसा उपभोक्ता बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 126 के दायरे और दायरे में 'दोषी और दायित्व के तहत' होगा। अधिनियम की धारा 126 में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति 'बिजली के अनधिकृत उपयोग का अर्थ' व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति है और इसे होना चाहिए

अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक व्याख्या के विपरीत उद्देश्यपूर्ण रूप से समझा गया। जुड़े हुए भार की तुलना में अधिक भार खपत के मामले

अन्य बातों के साथ-साथ यह अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) के तहत आता है, इसके अलावा यह विनियम 82 का उल्लंघन करता है और

106 समझौते के नियम और शर्तें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

8. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून का पालन करते हुए

सीताराम राइस मिल का मामला (ऊपर), इस न्यायालय की एक खंड पीठ जिसमें हममें से एक (ए. के. एन. जे.) सदस्य था, मेसर्स में आयोजित किया गया। क्लासिक कलर लैब वी। सहायक अभियंता और अन्य (2014 (3) के. एल. टी. 57) ने कहा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 के प्रावधानों की व्याख्या करते समय इस न्यायालय को निम्नलिखित को प्राथमिकता देते हुए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या के सिद्धांत को लागू करना होगाः

पाठ्य व्याख्या, होने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उस धारा द्वारा प्राप्त, अर्थात, बिजली के अनधिकृत उपयोग पर एक निहित प्रतिबंध लगाने के लिए। इसलिए, एक निर्माण

जो कानून की व्यवहार्यता में सुधार करेगा, अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण होने के लिए, किसी भी अन्य व्याख्या को प्राथमिकता देनी होगी जिससे अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं।

8.1 . क्लासिक कलर लैब के मामले (ऊपर) में, 3.3.2005 पर किए गए स्थल निरीक्षण में, बिजली का अनधिकृत उपयोग किया गया था। एपीटीएस द्वारा उस परिसर में पता लगाया गया जहां अपीलार्थी/उपभोक्ता के पास रंगीन फोटो प्रसंस्करण इकाई और प्रयोगशाला थी। एपीटीएस ने पाया कि अपीलार्थी/उपभोक्ता

वाणिज्यिक उपयोग के लिए एल. टी.-IV शुल्क के तहत औद्योगिक उद्देश्य के लिए बिजली का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे एल. टी. VIIA के तहत उच्च शुल्क आकर्षित हो रहा था। तदनुसार, अपीलार्थी/उपभोक्ता को एक मांग सूचना जारी की गई थी, जिसमें बराबर दर पर ऊर्जा शुल्क की मांग की गई थी 6 महीने की अवधि के लिए एल. टी.-वी. आई. ए. शुल्क का डेढ़ गुना, एल. टी.-IV शुल्क के तहत पहले से ही भुगतान की गई राशि से कम।

8.2 . अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि एक बार यह पाया जाता है कि अपीलार्थी/उपभोक्ता बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त थे, तो अधिनियम की धारा 126 के तहत अनुध्यात दंडात्मक मूल्यांकन का पालन करना होगा। धारा 126 (6) के अनुसार, जैसा कि 2007 के संशोधन अधिनियम 26 से पहले था, ऐसा निर्धारण उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के डेढ़ गुना के बराबर दर पर किया जाएगा।

8.3 . क्लासिक कलर लैब के मामले (ऊपर) में, अपीलार्थी/उपभोक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया था कि, अधिनियम की धारा 126 को एक के बराबर दर पर बनाया जाना चाहिए।

और औद्योगिक कनेक्शन के लिए लागू शुल्क का आधा गुना। इसके विपरीत, बोर्ड की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस तरह का मूल्यांकन एक और एक आर. ए. एल. ए. राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओ. आर. एस. के बराबर दर पर किया जाना चाहिए।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

वाणिज्यिक कनेक्शन के लिए लागू शुल्क का आधा गुना,

जिसके लिए अधिक शुल्क लागू होता है।

8.4 . सीताराम राइस मिल के मामले (ऊपर) में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित कानून पर ध्यान देने के बाद, इस अदालत ने कहा कि एक बार यह पाया जाता है कि अपीलकर्ता/उपभोक्ता औद्योगिक शुल्क के तहत आपूर्ति की गई बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त थे, तो उस सेवा कनेक्शन में पूरी खपत को करना होगा

अधिनियम की धारा 126 (6) के तहत मूल्यांकन किया जाएगा और इस तरह,

अपीलार्थी/उपभोक्ता का तर्क कि उपभोग

केवल प्रकाश मीटर के माध्यम से एल. टी.-वी. आई. ए. के तहत चार्ज किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने आगे कहा कि अधिनियम की धारा 126 (6) की एकमात्र व्याख्या यह दी जा सकती है कि बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए धारा 126 के तहत एक मूल्यांकन में, सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के डेढ़ गुना (15.6.2007 से प्रभावी दो गुना) के बराबर दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

उच्च शुल्क आकर्षित करना जिसके लिए बिजली की आपूर्ति की गई थी

अनधिकृत रूप से उपयोग किया जाता है, न कि सेवा की प्रासंगिक श्रेणी जिसमें उपभोक्ता संबंधित है। पारस। 15 और 16 में से

निर्णय इस प्रकार पढ़ा जाता है;

" 15. 3.3.2005 पर, अपीलार्थी के परिसर का निरीक्षण किया गया था।

एपीटीएस द्वारा। जैसा कि एक्सट से स्पष्ट है। पी1 साइट मजार, एपीटीएस ने पाया कि औद्योगिक शुल्क एलटी-IV के तहत प्रकाश मीटर के माध्यम से बिजली की आपूर्ति का उपयोग स्टूडियो में नियॉन रोशनी और एयर कंडीशनर के लिए किया जा रहा था, जो नीचे दिए गए हैं।

वाणिज्यिक शुल्क एल. टी.-वी. आई. ए. एक्सट में खोज। पी1 साइट मजार इस आशय का है कि अपीलार्थी इसमें लिप्त था।

औद्योगिक उद्देश्य के लिए बिजली के अनधिकृत उपयोग में

वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए शुल्क एल. टी.-IV के तहत, एल. टी.-VIIA के तहत उच्च शुल्क आकर्षित करना। जैसा कि अपीलार्थी ने एल. टी.-IV शुल्क के तहत औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्ति की गई बिजली का उपयोग किया

एल. टी.-वी. आई. ए. शुल्क के तहत वाणिज्यिक उपयोग के लिए यह राशि

' धारा 126 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के तहत आने वाली बिजली का अनधिकृत उपयोग। इस तरह के अनधिकृत उपयोग के लिए अपीलार्थी धारा 126 (6) के तहत मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है, जैसा कि यह 2007 के संशोधन अधिनियम 26 से पहले था, लागू शुल्क के डेढ़ गुना के बराबर दर पर।

सेवा की प्रासंगिक श्रेणी के लिए। 27.10.2005 पर, [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी ने औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक भार को अलग किया

कनेक्शन और उसके बाद, वाणिज्यिक शुल्क के तहत सेवा कनेक्शन का जुड़ा हुआ भार 5 किलोवाट से बढ़ाकर 28 किलोवाट कर दिया गया और औद्योगिक शुल्क के तहत सेवा कनेक्शन का जुड़ा हुआ भार 88 किलोवाट से घटाकर 44 किलोवाट कर दिया गया। इससे यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि, अपीलार्थी था

बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त होना, जिससे औद्योगिक के तहत आपूर्ति की जाने वाली बिजली का एक बड़ा हिस्सा उपयोग किया जाता है

वाणिज्यिक उपयोग के लिए शुल्क। एक बार जब यह पाया जाता है कि अपीलार्थी ने औद्योगिक शुल्क के तहत आपूर्ति की गई बिजली का अनधिकृत उपयोग किया था, तो उस सेवा कनेक्शन में पूरी खपत का आकलन धारा 126 (6) के तहत करना होगा। इसलिए, अपीलार्थी का तर्क है कि

केवल प्रकाश मीटर के माध्यम से खपत होनी चाहिए

एल. टी.-वी. आई. ए. के तहत आरोप लगाया जाना पूरी तरह से असमर्थनीय है।

16. के. एस. ई. बी. औद्योगिक क्षेत्र के लिए बिजली की आपूर्ति कर रहा है।

एल. टी.-IV शुल्क के तहत, रियायती दर पर, जबकि एल. टी.-VIIA शुल्क के तहत वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बिजली की आपूर्ति उच्च दर को आकर्षित करती है। जैसा कि Ext.P5 मांग में की गई गणनाओं से स्पष्ट है, संबंधित अवधि के दौरान LT VIIA के तहत वाणिज्यिक शुल्क रु। 8.25 प्रति इकाई। जैसा कि के. एस. ई. बी. के विद्वान स्थायी वकील ने बताया कि संबंधित अवधि के दौरान एल. टी.-IV के तहत औद्योगिक शुल्क केवल रु. 25 प्रति यूनिट। अतः, यदि अपीलार्थी है -

बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए धारा 126 (6) के तहत मूल्यांकन, एल. टी.-IV औद्योगिक शुल्क @Rs लेते हुए। 4.25 प्रति इकाई सेवा की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के डेढ़ गुना के बराबर दर की गणना करने के लिए आधार के रूप में, तब अपीलार्थी को केवल रु। 6.37 वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए प्रति इकाई, रुपये की मौजूदा दर की तुलना में। एल. टी.-VIIA के तहत वाणिज्यिक शुल्क के लिए 8.25 रुपये प्रति इकाई लागू है। अगर ऐसा है तो

दूसरी ओर, यदि अपीलार्थी का मूल्यांकन किया जाता है बिजली का अनधिकृत उपयोग, एल. टी.-वी. आई. आई. ए. औद्योगिक शुल्क रु. आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. के लिए लागू शुल्क के डेढ़ गुना के बराबर दर की गणना के लिए आधार के रूप में 8.25 रुपये प्रति इकाई।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सेवा की प्रासंगिक श्रेणी में, अपीलार्थी को केवल रु। वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए 12.37 प्रति इकाई, जबकि मौजूदा दर रु। 8. 25 प्रति इकाई के तहत वाणिज्यिक शुल्क लागू होता है।

एल. टी.-VIIA। इसलिए, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 (6) की एकमात्र व्याख्या यह दी जा सकती है कि धारा 126 के तहत अनधिकृत उपयोग के लिए मूल्यांकन में

बिजली, मूल्यांकन सेवा की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के डेढ़ गुना (15.6.2007 से दो गुना) के बराबर दर पर किया जाएगा। उच्च शुल्क आकर्षित करना जिसके लिए बिजली की आपूर्ति की जाती है

अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया था और सेवा की प्रासंगिक श्रेणी नहीं जिसमें उपभोक्ता संबंधित है, और हम ऐसा मानते हैं।

8.5 . क्लासिक कलर लैब के मामले में (ऊपर), अपीलार्थी/उपभोक्ता की ओर से दिए गए तर्कों पर ध्यान देने के बाद

जे. डी. टी. इस्लाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

अनाथालय समिति v. सहायक अभियंता, के. एस. ई. बी. (2007 (3) के. एल. टी. 388) और एस. के. में कलकत्ता उच्च न्यायालय। जाफर

अली वी। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी

लिमिटेड (ए. आई. आर. 2010 कैल. 84) इस न्यायालय ने कहा कि जे. डी. टी. इस्लाम अनाथालय समिति का मामला (ऊपर) के तहत एक मामला है

विद्युत अधिनियम, 1910, जिसमें एल. टी.-VI के तहत एक अनाथालय है।

अनाधिकृत विस्तार के लिए शुल्क का आकलन कर के किया गया था

एल. टी.-VIII शुल्क अस्थायी विस्तार पर लागू होता है। यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें एल. टी.-6 शुल्क के तहत आपूर्ति की जाने वाली बिजली का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता था जिससे उच्च शुल्क आकर्षित होता हो। यह निर्णय पूरी तरह से अलग तथ्यों पर आधारित था।

और यह किसी भी तरह से अपीलार्थी के मामले का समर्थन नहीं करता है /

उपभोक्ता।

8.6 . एस. के. में। जाफर अली का मामला (ऊपर) बिजली की आपूर्ति घरेलू शुल्क का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जाता था

अधिक शुल्क आकर्षित करना। अदालत ने पाया कि उपभोक्ता के परिसर में स्थित वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मीटर के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है और यह संबंधित मीटर है

घरेलू उपभोग जिसमें छेड़छाड़ की गई है। द.

कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश, व्याख्या करते हुए

अधिनियम की धारा 126 (6) में कहा गया है कि उप-धारा [2022] 9 एस. सी. आर. में निर्दिष्ट सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए 'वाक्यांश लागू होता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(5) ' धारा 126 में दिखाई देने वाली दर को यथोचित रूप से 'सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू दर के रूप में समझा जाना चाहिए जिससे उपभोक्ता संबंधित है'। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय प्रस्तावित दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

अपीलार्थी/उपभोक्ता के विद्वान वकील द्वारा, इस न्यायालय की खंड पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस दृष्टिकोण से असहमति जताते हुए कहा कि, यदि उपरोक्त व्याख्या को स्वीकार कर लिया जाता है, तो एल. टी.-वी. कृषि शुल्क के तहत एक उपभोक्ता को लगभग ₹1/- प्रति इकाई की दर से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए केवल ₹1.50 प्रति इकाई का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जबकि

एल. टी.-वी. आई. ए. वाणिज्यिक शुल्क के लिए लागू 8.25 रुपये प्रति इकाई की प्रचलित दर।

9. मारिया प्लाना सोसाइटी बनाम। के. एस. ई. बी. और अन्य (डब्ल्यू. पी. में निर्णय दिनांक 21.5.2009) (सी)। 2009 का सं. 12068) इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126 से देखा जा सकता है, एक बार जब मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग

मूल्यांकन पूरी अवधि के लिए किया जाएगा और मूल्यांकन सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर होगा। अधिनियम की धारा 45 (3) (ए) को पढ़ने से पता चलता है कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल हैं।

आपूर्ति और खपत की गई वास्तविक बिजली के लिए शुल्क के अलावा शुल्क। उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों के आलोक में, अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि शुल्क में निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों शामिल हैं और एक बार जब निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि

बिजली का अनधिकृत उपयोग किया गया है, वह लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है, जिसमें ऊर्जा शुल्क के लिए देय बकाया भी शामिल है। 2009 के W.A.No.1149 में दिनांकित 3.4.2014 निर्णय में, जो W. P. में निर्णय से उत्पन्न हुआ। (सी)। 2009 की डिवीजन बेंच ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप किए बिना रिट अपील का निपटारा करते हुए कानून के सवाल को खुला छोड़ दिया कि क्या अधिनियम की धारा 126 के तहत जुर्माना ऊर्जा शुल्क पर लागू होता है।

अनधिकृत अतिरिक्त भार के मामले में भी।

आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

10. सीताराम राइस मिल के मामले में (ऊपर) सर्वोच्च न्यायालय ने

उन्होंने कहा है कि अधिनियम की धारा 126, जो मूल्यांकन, निर्धारण और मांग के लिए एक पूरी प्रक्रिया का प्रतीक है, का उद्देश्य बिजली की ऐसी अनधिकृत खपत पर निहित प्रतिबंध लगाना है। अधिनियम की धारा 126 के प्रावधान स्व-व्याख्यात्मक हैं, जिनका उद्देश्य स्थितियों के अलावा अन्य स्थितियों को शामिल करना है। विशेष रूप से अधिनियम की धारा 135 के तहत कवर किया गया है; जो उन मामलों में लागू होगा जहां बिजली की कोई चोरी नहीं है, लेकिन बिजली की खपत आपूर्ति के नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रही है जिससे कदाचार हो रहा है, जो पूरी तरह से 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आ सकता है। अधिनियम की धारा 135 बिजली की चोरी के अपराध से संबंधित है, जो स्पष्ट रूप से आयामों के भीतर आता है।

आपराधिक न्यायशास्त्र और पुरुष न्याय चोरी के मामले को खोजने के लिए प्रासंगिक कारकों में से एक है। इसके विपरीत, अधिनियम की धारा 126 किसी भी आपराधिक इरादे की बात नहीं करती है, जिसमें ऐसी विशेषताएं या तत्व नहीं हैं जो पुरुष अधिकार की आपराधिक अवधारणा के लिए पता लगाने योग्य हैं। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 126 के तहत 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' अभिव्यक्ति अनधिकृत उपयोग के मामलों से संबंधित है, भले ही इरादे के अभाव में भी। इस प्रकार, इरादा सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों को लागू करने और अधिनियम की धारा 126 के तहत मूल्यांकन के आदेश को पारित करने का आधार नहीं है।

11. जैसा कि सीताराम राइस मिल के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' का अर्थ है बिजली का उपयोग साधनों द्वारा और निम्नलिखित कारणों से करना। अधिनियम की धारा 126 का स्पष्टीकरण (बी) (आई) से (वी), जो

इसका अर्थ है कि उस स्पष्टीकरण के तहत क्या कहा गया है, साथ ही साथ ऐसा अन्य अनधिकृत उपयोग, जो अधिनियम में वैधानिक या संविदात्मक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए विनियमों और अनुबंध के रूप में या अन्यथा आपूर्ति के नियमों और शर्तों का पूरी तरह से उल्लंघन है। बिजली का अनधिकृत उपयोग उपभोक्ता को 'दायित्व और दोष' में लाता है।

अधिनियम की धारा 126 के दायरे और दायरे में। दोष अतिरिक्त भार के संबंध में है जबकि देयता कानून में निर्धारित अवधि के लिए एक अलग टैरिफ पर भुगतान करना है और निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन आदेश की शर्तें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. में प्रयुक्त 'मतलब' अभिव्यक्ति का उल्लेख करने के बाद

अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उस अभिव्यक्ति का प्राथमिक उद्देश्य 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' शब्द की व्याख्या करना है, जिसे अधिनियम के प्रावधानों के सरल अध्ययन या सामान्य ज्ञान के दृष्टिकोण से भी स्पष्टीकरण में दिए गए उदाहरणों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता है। विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा बिजली के अनधिकृत उपयोग को रोकने के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ अधिनियम की धारा 126 (5) और धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) के खंड (iv) में संशोधन किया गया था।

धारा के अर्थ के भीतर बिजली की चोरी की राशि

135 अधिनियम का, जिसका उचित अर्थ दिया जाना है, जो अधिनियम की योजना में फिट होगा और अपने उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करेगा।

13. इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति नियमों और शर्तों द्वारा प्रतिबंधित और नियंत्रित है आपूर्ति, विनियम और अधिनियम के प्रावधानों को सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बिजली का अनधिकृत उपयोग नहीं किया जा सकता है।

धारा 126 के स्पष्टीकरण के तहत उल्लिखित खंडों तक सीमित लेकिन एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि आपूर्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामलों को शामिल किया जा सके और ऐसी आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले अधिनियम के विनियम और प्रावधान। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि, उपभोग

स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली अधिनियम की धारा 126 के संदर्भ में 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' होगा, क्योंकि बिजली की अधिक निकासी अनुबंध के नियमों और शर्तों और वैधानिक शर्तों का उल्लंघन है; इसके अलावा इस तरह की अधिक निकासी बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि यह पूरी आपूर्ति प्रणाली को गियर से बाहर फेंकने की संभावना है, जिससे इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और यहां तक कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव भी बढ़ सकता है।

14. अधिनियम की धारा 126 के तहत प्रावधान, जैसा कि बिजली (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधन से पहले था, घरेलू और कृषि सेवाओं के मामले में निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले तीन महीने की अवधि के लिए और छह महीने की अवधि के लिए बिजली के अनधिकृत उपयोग के मूल्यांकन के लिए प्रदान किया गया था।

अन्य सभी आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. के लिए निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सेवाओं की श्रेणियां, जब तक कि ऐसे परिसर या स्थान के व्यक्ति, अधिभोगकर्ता या स्वामी द्वारा जिम्मेदारी का खंडन नहीं किया जाता है।

15. अधिनियम की धारा 126 के तहत प्रावधानों के अनुरूप, आपूर्ति की शर्तों, 2005 के विनियमन 51 (1) में निम्नलिखित के संदर्भ में अनधिकृत अतिरिक्त भार के मूल्यांकन का प्रावधान है -

विनियमन 50 (5) और (6), अर्थात सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के डेढ़ गुना के बराबर दर पर

विनियमन 50 (5) में निर्दिष्ट, के मामले में निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले तीन महीने की अवधि के लिए घरेलू और कृषि सेवाएँ और अन्य सभी श्रेणियों की सेवाओं के लिए निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले छह महीने की अवधि के लिए, जब तक कि

ऐसे परिसर या स्थान का व्यक्ति/अधिभोगकर्ता या स्वामी। यद्यपि आपूर्ति की शर्तों, 2005 के विनियम 51 (1) में 'दंडित' शब्द का उपयोग किया गया है, उक्त विनियम के तहत जो विचार किया गया है वह केवल आपूर्ति की शर्तों के अनधिकृत उपयोग का मूल्यांकन है। अधिनियम की धारा 126 (5) में निर्दिष्ट अवधि के लिए और अधिनियम की धारा 126 (5) में निर्दिष्ट दर पर बिजली। इस मामले को देखते हुए, आपूर्ति की शर्तों, 2005 का विनियमन 51 (1) न तो अधिकार से परे है।

अधिनियम की धारा 126 के प्रावधान न तो अप्रवर्तनीय हैं, और हम ऐसा मानते हैं।

16. अधिनियम की धारा 126 के तहत प्रावधान एक

विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन। संशोधन के बाद, यदि उस अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता है जिसके दौरान बिजली का अनधिकृत उपयोग किया गया है

निर्धारण अधिकारी, ऐसी अवधि निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले 'बारह महीने' की अवधि तक सीमित होगी और निर्धारण निर्दिष्ट सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के 'दोगुने' के बराबर दर पर किया जाएगा।

उप-धारा (5) में। अधिनियम की धारा 126 (5) और (6) में किया गया उक्त संशोधन, रोकथाम के उद्देश्य और उद्देश्य के साथ। बिजली का अनधिकृत उपयोग जो चोरी के बराबर नहीं है

अधिनियम की धारा 135 के अर्थ के भीतर बिजली को इसका उचित अर्थ दिया जाना चाहिए, जो अधिनियम की योजना में फिट होगा और अपने उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करेगा। धारा में किए गए उक्त संशोधन के खिलाफ किसी भी चुनौती के अभाव में

126 (5) अधिनियम के अनुसार, याचिकाकर्ता/उपभोक्ता अब [2022] 9 एस. सी. आर. नहीं कर सकते।

तर्क दें कि इसमें निर्धारित 'बारह महीने' की अवधि उतनी ही अनुचित है, जितनी बिजली की चोरी की अवधि के लिए।

अधिनियम की धारा 135 में निर्धारित केवल तीन महीने हैं।

17. जब अधिनियम की धारा 126 के तहत 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' इरादे के अभाव में भी अनधिकृत उपयोग के मामलों से संबंधित है, तो यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि, पुरुष अधिकार के अभाव में, अधिकतम दर पर मूल्यांकन, यानी सेवा की संबंधित श्रेणी पर लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर कानूनी रूप से अस्वीकार्य है। अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) के तहत आने वाले 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के सभी मामलों में, मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारित दर पर बिजली के इस तरह के अनधिकृत उपयोग का आकलन करने का अधिकार है।

धारा 126 (6) और धारा 126 (5) में निर्दिष्ट अवधि के लिए, जैसा कि विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया है। मामले के उस दृष्टिकोण में, हम याचिकाकर्ताओं/उपभोक्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जो के. एस. ई. बी. में इस न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हैं और

अन्य वी। एम/एस। अलुक्कास ज्वैलरी (2004 के W.A.No.1262 में 9.11.2005 का निर्णय) कि, ऐसे मामलों में जहां बिजली की अधिक निकासी के कारण बोर्ड की स्थापना को कोई नुकसान नहीं हुआ है, संबंधित श्रेणी की सेवा पर लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर मूल्यांकन अनुचित है।

18. सीताराम राइस मिल के मामले में (ऊपर) तीन-न्यायाधीश

स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) के तहत पूरी तरह से शामिल किया जाए। एक बार जब यह कारक स्थापित हो जाता है, तो मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन के अंतिम आदेश को पारित करना होता हैः

अधिनियम की धारा 126 (6), जो उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर होगी।

19. पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम केंद्रीय विद्युत नियामक

आयोग (2010 (4) एस. सी. सी. 603) ने सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि 'प्रशुल्क' शब्द, यद्यपि विद्युत अधिनियम, 2003 में परिभाषित नहीं है, इसके दायरे में न केवल दरों का निर्धारण बल्कि इससे संबंधित नियम और विनियम भी शामिल हैं।

20. अधिनियम की धारा 45 (1) में प्रावधान है कि, धारा 45 के प्रावधानों के अधीन, एक आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. द्वारा ली जाने वाली कीमतें।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

धारा 43 के अनुसरण में उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारी इस प्रकार के अनुसार होगा -

समय-समय पर निर्धारित शुल्क और उसके लाइसेंस की शर्तें।

धारा 45 (3) में आगे यह प्रावधान किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए शुल्क में आपूर्ति की जाने वाली वास्तविक बिजली के लिए शुल्क के अलावा एक निश्चित शुल्क और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान किए गए किसी भी बिजली मीटर या विद्युत संयंत्र के संबंध में किराया या अन्य शुल्क शामिल हो सकते हैं।

21. अधिनियम की धारा 45 (3) के तहत प्रावधान यह बनाते हैं

स्पष्ट रूप से स्पष्ट करें कि धारा 45 (1) में 'शुल्क' शब्द, जो बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा ली जाने वाली कीमत है, में आपूर्ति की गई वास्तविक बिजली के लिए शुल्क के अलावा निश्चित शुल्क शामिल है। यदि ऐसा है, तो यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिनियम की धारा 126 (6) में 'शुल्क' शब्द में निर्धारित शुल्क और शुल्क दोनों शामिल हैं।

बिजली की आपूर्ति, जिसका मूल्यांकन बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त उपभोक्ता के मामले में किया जाना है, संबंधित के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की श्रेणी। इसलिए, एक बार जब मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि

उपभोक्ता बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त है, वह लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर ऐसे उपभोक्ता का मूल्यांकन करने के लिए बाध्य है, जिसमें निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों शामिल हैं।

22. जे. डी. टी. इस्लाम अनाथालय समिति बनाम में निर्णयों पर भरोसा करना। सहायक अभियंता, के. एस. ई. बी. (2007 (3) के. एल. टी. 388), जॉर्ज जोसेफ और एक अन्य बनाम। के. एस. ई. बी. और अन्य (2008 (4) के. एल. टी. 610) आदि याचिकाकर्ताओं/उपभोक्ताओं ने तर्क दिया कि जब मीटर के माध्यम से खपत होने वाली ऊर्जा का बिल दिया गया है और

भुगतान किए जाने के बाद, ऊर्जा की इस तरह की खपत के लिए दंडात्मक शुल्क का आकलन कानूनी रूप से अस्वीकार्य है और बिजली के अनधिकृत उपयोग में लिप्त पाए जाने वाले उपभोक्ताओं पर निर्धारित शुल्क पर दंडात्मक शुल्क लगाया जा सकता है। उक्त तर्क को केवल अधिनियम की धारा 45 और 126 के तहत प्रावधानों और सीताराम राइस मिल के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और इस न्यायालय द्वारा क्लासिक कलर [2022] 9 एस. सी. आर. में निर्धारित किए गए प्रावधानों के संदर्भ में पहले किए गए हमारे निष्कर्ष को देखते हुए ही खारिज किया जा सकता है।

प्रयोगशाला का मामला (ऊपर दिया गया है) कि अधिनियम की धारा 126 (6) के तहत उपभोक्ता के निर्धारण में, लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर, निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों शामिल हैं।

23. बोर्ड आदेश दिनांक 7.2.2008 में, जो बनाया गया था

यह आदेश दिया गया था कि फील्ड अधिकारी बिजली (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 126 (5) और (6) के प्रावधानों का सख्ती से पालन करेंगे, यानी पूरी अवधि के लिए संबंधित शुल्क का दो गुना, और यदि उक्त अवधि का निर्धारण बारह महीने की अवधि के लिए नहीं किया जा सकता है, तो मूल्यांकन के लिए

अनधिकृत अतिरिक्त भार, अनधिकृत विस्तार और मीटर छेड़छाड़ के मामलों सहित ऊर्जा के दुरुपयोग के मामले में जुर्माना लगाया जाता है। यह भी स्पष्ट किया गया कि जुर्माना दर अनधिकृत उपयोग के लिए निश्चित और ऊर्जा शुल्क दोनों पर लागू होगी। आनुपातिक ऊर्जा शुल्क के लिए वर्तमान शुल्क के लिए जुर्माना शुल्क लगाया जाएगा और एकत्र किए गए सामान्य वर्तमान शुल्क की कटौती की जाएगी।

' जुर्माना ', उक्त आदेश के तहत जो विचार किया गया है वह केवल बिजली के अनधिकृत उपयोग का मूल्यांकन है विद्युत अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 126

(संशोधन) अधिनियम, 2007, धारा में निर्दिष्ट अवधि के लिए

126 (5) और अधिनियम की धारा 126 (6) में निर्दिष्ट दर पर। मामले के उस दृष्टिकोण में, बोर्ड का दिनांकित आदेश 7.2.2008 है

एक ऐसे मामले से निपट रहा था जिसमें उपभोक्ता पर लागू शुल्क को 'मध्यम उद्योग' से बदलकर शुल्क कर दिया गया था बड़े उद्योग के लिए लागू '। इसी तरह, क्लासिक कलर लैब के मामले (ऊपर) में यह न्यायालय एक ऐसे मामले पर विचार कर रहा था जिसमें

एल. टी.-IV शुल्क के तहत औद्योगिक उद्देश्य के लिए रियायती दर पर आपूर्ति की जाने वाली बिजली का उपयोग अनधिकृत रूप से वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए किया जाता था, जो एल. टी.-VIIA शुल्क के तहत उच्च दर को आकर्षित करता है। उक्त निर्णय में, अधिनियम की धारा 126 (6) के तहत किए गए निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क की मांग को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि बिजली के अनधिकृत उपयोग के लिए धारा 126 के तहत एक मूल्यांकन में, मूल्यांकन आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. होगा।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

डेढ़ गुना (15.6.2007 से दो गुना) के बराबर दर पर लागू किया गया शुल्क उच्च शुल्क को आकर्षित करने वाली सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू होता है, जिसके लिए आपूर्ति की गई बिजली का अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया था, न कि

सेवा की प्रासंगिक श्रेणी जिसमें उपभोक्ता संबंधित है।

26. जहां तक घरेलू उपभोक्ताओं का संबंध है, एकल चरण कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क 20/- प्रति माह है और यह तीन चरण कनेक्शन के लिए 60/- प्रति माह है, चाहे जुड़ा हुआ भार कुछ भी हो। इसलिए, एक घरेलू उपभोक्ता निर्दिष्ट दर पर निश्चित शुल्क का भुगतान कर रहा है, भले ही जुड़ा हुआ भार और वास्तविक के लिए ऊर्जा शुल्क कुछ भी हो।

प्रशुल्क क्रम में निर्दिष्ट दरों पर उपभोग। भले ही घरेलू उपभोक्ता के परिसर में अतिरिक्त जुड़ा हुआ भार हो, उपभोक्ता से प्राप्त होने वाले बिजली शुल्क में कोई बदलाव नहीं होता है और इस तरह, अतिरिक्त जुड़ा हुआ भार लागू शुल्क आदेशों के नियमों और शर्तों के अनुसार लाइसेंसधारी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह हो सकता है कि

कारण जिसने विद्युत नियामक आयोग को अतिरिक्त भार के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को दंडित नहीं करने के लिए राजी किया उनके परिसर, आपूर्ति संहिता, 2014 के विनियमन 153 (15) को शामिल करके, जो प्रदान करता है कि, उसी परिसर में और उसी शुल्क के तहत अनधिकृत अतिरिक्त भार

बिजली के अनधिकृत उपयोग के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं के पास या तो इस तरह के अतिरिक्त भार को नियमित करने या इस तरह के अतिरिक्त भार को हटाने का विकल्प होगा।

जुड़े हुए भार के लिए लाइसेंसधारक शुल्क के हकदार हैं जुड़े हुए भार के आधार पर मांग की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28. अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) के तहत आने वाले मामलों में, मूल्यांकन अधिकारी को आकलन करने का अधिकार है

धारा 126 (6) में निर्धारित दर पर और धारा 126 (5) में निर्दिष्ट अवधि के लिए बिजली का अनधिकृत उपयोग, जैसा कि बिजली (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया है, निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों के लिए। आनुपातिक ऊर्जा शुल्क के लिए वर्तमान शुल्क के लिए जुर्माना शुल्क लगाया जाएगा और

संग्रहित सामान्य चालू शुल्क की कटौती की जाएगी। उच्च शुल्क में बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में, जैसे

संबंधित श्रेणी की आकर्षित करने वाली सेवाओं के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर मूल्यांकन किया जाएगा।

अनधिकृत रूप से उपयोग किया जाता है और सेवा की प्रासंगिक श्रेणी नहीं जिसमें उपभोक्ता संबंधित है। 29. उसी परिसर में स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की खपत के मामलों में और उसी उद्देश्य के लिए एक अलग पैमाना लागू किया जाना चाहिए, जिसमें सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क में कोई बदलाव शामिल नहीं है, जिसकी खपत पहले ही मीटर की जा चुकी है और जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जा चुका है।

उपभोक्ता, क्योंकि इस तरह का उपयोग किसी भी कृत्रिम माध्यम से या छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से नहीं किया जाता है। यही कारण है कि, ऐसे मामलों में उपभोक्ता द्वारा अनधिकृत जुड़े हुए भार को नियमित करने या अनुबंध को बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

एक बार उपभोक्ता द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद बोर्ड द्वारा मांग को स्वीकार कर लिया जाएगा, जब तक कि जुड़े हुए भार को नियमित करने या अनुबंध की मांग में वृद्धि के लिए मौजूदा वितरण प्रणाली के उन्नयन या आपूर्ति के वोल्टेज स्तर में वृद्धि की आवश्यकता न हो।

30. जैसा कि सीताराम मिल के मामले में शीर्ष अदालत ने कहा था

(ऊपर), बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में, उपभोक्ता पर दोष अतिरिक्त भार के संबंध में है, जबकि देयता कानून में निर्धारित अवधि के लिए और द्वारा पारित मूल्यांकन के आदेश के संदर्भ में एक अलग टैरिफ पर भुगतान करना है। अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के तहत मूल्यांकन अधिकारी। मामले के उस दृष्टिकोण में, एक उपभोक्ता के मामले में, जिसे उसी परिसर में स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की ओवरड्रॉवल के लिए और उसी आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. के लिए दोषी ठहराया जाता है।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

एक ही उद्देश्य, जिसमें शुल्क में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है

उपभोक्ता, क्योंकि इस तरह का उपयोग किसी भी कृत्रिम माध्यम से नहीं किया जाता है या छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से, धारा 126 (6) के तहत मूल्यांकन

अधिनियम का भुगतान देय निश्चित शुल्क के केवल दोगुने के बराबर हो सकता है।

और ऐसे उपभोक्ता को दायित्व से भारित नहीं किया जा सकता है

संबंधित के लिए लागू ऊर्जा शुल्क का दोगुना भुगतान करें

सेवाओं की श्रेणी, जब तक कि ऐसी अतिरिक्त सेवाओं को नियमित नहीं किया जाता है। संबद्ध भार या अनुबंध मांग में वृद्धि

मौजूदा वितरण प्रणाली के उन्नयन की आवश्यकता है या

आपूर्ति के वोल्टेज स्तर में वृद्धि "।

(जोर दिया गया)

9. जैसा कि ऊपर कहा गया है, उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम निर्णय का सारांश दिया

उपयोग, निम्नानुसारः

" 31. यहाँ पहले बताए गए कारणों के लिए, हम निम्नानुसार मानते हैं;

((i) निर्धारण अधिकारी की उपस्थिति

बिजली के अनधिकृत उपयोग का निरीक्षण और पता लगाना

उपभोक्ता का परिसर एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है।

धारा 126 (1) के तहत मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने के लिए

अधिनियम से।

((ii) धारा के तहत 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' अभिव्यक्ति

126 अधिनियम के अनधिकृत उपयोग के मामलों से भी संबंधित है

इरादे का अभाव। इसलिए, उपभोक्ता का इरादा

सक्षम की शक्तियों को लागू करने का आधार नहीं है

धारा के तहत निर्धारण के आदेश का प्राधिकरण और पारित करना

126 अधिनियम से।

(iii) जब भी कोई उपभोक्ता इन शर्तों का उल्लंघन करता है -

स्वीकृत/कनेक्टेड से अधिक बिजली की खपत भार, ऐसे उपभोक्ता को दोष दिया जाएगा और दायित्व के तहत होगा

लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर भुगतान करें

धारा 126 के संदर्भ में सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी

एक्ट करें।

((iv) अधिनियम की धारा 126 (6) में 'शुल्क' शब्द में दोनों शामिल हैं।

आपूर्ति की गई बिजली के लिए निर्धारित शुल्क और शुल्क, जो [2022] 9 एस. सी. आर.

एक उपभोक्ता के मामले में मूल्यांकन किया जाना चाहिए

बिजली का अनधिकृत उपयोग, उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर। (v) उच्च शुल्क में बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामले में, इस तरह का मूल्यांकन सेवाओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर किया जाएगा।

ऐसे उच्च शुल्क को आकर्षित करना जिसके लिए आपूर्ति की गई बिजली का अनधिकृत रूप से उपयोग किया गया था न कि सेवा की प्रासंगिक श्रेणी जिसके लिए उपभोक्ता संबंधित है।

(vi) हालांकि, एक उपभोक्ता के मामले में, जिसे उसी परिसर में और उसी उद्देश्य के लिए स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की ओवरड्रॉवल के लिए दोषी ठहराया जाता है,

जिसमें सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू शुल्क में कोई बदलाव शामिल नहीं है, जिसके उपयोग के बाद से उपभोक्ता द्वारा खपत को पहले ही मापा और भुगतान किया जा चुका है। किसी भी कृत्रिम माध्यम से या छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से नहीं होने के कारण, अधिनियम की धारा 126 (6) के तहत मूल्यांकन केवल देय निश्चित शुल्क के दोगुने के बराबर हो सकता है और ऐसे उपभोक्ता को दोगुने ऊर्जा शुल्क का भुगतान करने का दायित्व नहीं दिया जा सकता है।

सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू, जब तक कि

ऐसे अतिरिक्त जुड़े हुए भार का नियमितीकरण या अनुबंध मांग को बढ़ाने के लिए मौजूदा वितरण प्रणाली के उन्नयन या आपूर्ति के वोल्टेज स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता होती है।

(vii) अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) के तहत आने वाले अन्य सभी मामलों में, मूल्यांकन अधिकारी को आकलन करने का अधिकार है।

धारा 126 (6) में निर्धारित दर पर और धारा 126 (5) में निर्दिष्ट अवधि के लिए बिजली का अनधिकृत उपयोग, जैसा कि बिजली (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा संशोधित किया गया है, निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों के लिए। आनुपातिक ऊर्जा शुल्क के लिए वर्तमान शुल्क के लिए जुर्माना शुल्क लगाया जाएगा और एकत्र किए गए सामान्य वर्तमान शुल्क की कटौती की जाएगी।

(viii) यद्यपि आपूर्ति की शर्तों, 2005 के विनियम 51 (1) में 'दंडित' शब्द का उपयोग किया गया है, लेकिन उक्त विनियम के तहत जो विचार किया गया है वह केवल केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस के लिए अधिनियम की धारा 126 के संदर्भ में बिजली के अनधिकृत उपयोग का आकलन है।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

धारा 126 (5) में विनिर्दिष्ट अवधि और निर्दिष्ट दर पर

अधिनियम की धारा 126 (6) में। इस प्रकार, अधिनियम का विनियम 51 (1)

आपूर्ति की शर्तें, 2005 न तो प्रावधानों से परे हैं।

अधिनियम की धारा 126 और न ही अप्रवर्तनीय।

बिजली अधिनियम द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 126 (संशोधन) अधिनियम, 2007, धारा में निर्दिष्ट अवधि के लिए

126 (5) और अधिनियम की धारा 126 (5) में निर्दिष्ट दर पर।

इस प्रकार, उक्त बोर्ड आदेश न तो अधिकार के बाहर है

अधिनियम की धारा 126 के प्रावधान और न ही अप्रवर्तनीय।

(जोर दिया गया)

10. इस प्रकार, उच्च न्यायालय, जैसा कि ऊपर पैरा 31 (vi) से स्पष्ट है,

यह विचार रखा कि एक ही परिसर में और एक ही शुल्क के तहत 'अनधिकृत अतिरिक्त भार' को 'अनधिकृत उपयोग' के रूप में नहीं माना जाएगा।

जुड़ा हुआ भार। उच्च न्यायालय ने विनियमन पर भरोसा करते हुए ऐसा दृष्टिकोण अपनाया153 (15) केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 (संक्षेप में, 'द कोड')

2014 ') .

11. अपीलार्थी बोर्ड निर्णय से असंतुष्ट है और

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, उपभोक्ताओं द्वारा दायर व्यक्तिगत रिट याचिकाओं में समीक्षा आवेदनों को प्राथमिकता देता है। समीक्षा आवेदनों को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 10. उपरोक्त से जो आगे आता है वह यह है कि इसके भीतर आने के लिए

पैरा के खंड (vi) की परिधि। 31 निर्णय का, एक उपभोक्ता जिसे अधिक बिजली निकालने के लिए दोषी ठहराया जाता है

स्वीकृत/जुड़े हुए भार को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए;

(i) बिजली की इस तरह की ओवरड्रॉवल समान होनी चाहिए।

परिसर और उसी उद्देश्य के लिए, जिसमें शामिल नहीं है

संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क में कोई परिवर्तन

सेवाएँ;

((ii) इस तरह की खपत पहले ही मापी जा चुकी होगी और

उपभोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, क्योंकि ऐसा उपयोग किसी के द्वारा नहीं किया जाता है।

कृत्रिम साधनों या छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; और

((ग) ऐसे अतिरिक्त जुड़े हुए भार को नियमित करना या अनुबंध की मांग में वृद्धि की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए [2022] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मौजूदा वितरण प्रणाली का उन्नयन या

आपूर्ति के वोल्टेज स्तर में वृद्धि "।

12. मुख्य मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के साथ-साथ समीक्षा आवेदनों में पारित आदेश से असंतुष्ट होने के कारण, अपीलकर्ता बोर्ड वर्तमान अपीलों के साथ आया है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ बोर्ड

13. अपीलकर्ता बोर्ड की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने एक

संहिता 2014 के विनियम 153 (15) पर भरोसा करके प्रश्नगत मुद्दे का निर्णय लेने में गंभीर त्रुटि। उन्होंने बताया कि राज्य विनियमों को अधिनियम 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 50 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। श्री का मुख्य तर्क।

बसंत का कहना है कि विनियमन 153 (15) तैयार करते समय केरल राज्य

विद्युत विनियामक आयोग ("आयोग") के बारे में कहा जा सकता है कि उसने अधिनियम 2003 की धारा 126 का उल्लंघन किया है, जिसका प्रावधान धारा 50 या धारा 181 के तहत नहीं है। दूसरे शब्दों में, विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि यदि धारा 50 और

अधिनियम की धारा 181 के जवाब को बारीकी से पढ़ा जाता है, तो दोनों धाराएं इस तरह के स्पष्टीकरण के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं करती हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय का ध्यान विनियमन 153 (15) की ओर आकर्षित किया।

जो यह प्रावधान करता है कि एक ही परिसर में और एक ही शुल्क के तहत एक अनधिकृत अतिरिक्त भार को 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के रूप में नहीं माना जाएगा, सिवाय उन मामलों के जिनमें उपभोक्ताओं को जुड़े हुए भार के आधार पर बिल दिया जाता है।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि विनियमन बनाने की शक्ति का उपयोग मूल अधिकारों को अस्तित्व में लाने के लिए नहीं किया जा सकता है

जिनका 2003 के अधिनियम के तहत विचार नहीं किया गया है।

धारा 126 अधिनियम 2003 का स्पष्टीकरण (बी) (iv)। 16. विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क होगा कि सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने इतने शब्द कहे हैं कि केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओआरएस की धारा 126।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अधिनियम 2003 अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक का उपभोग अनधिकृत उपयोग है। स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक खपत का ऐसा कार्य बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि यह पूरी प्रणाली को प्रभावित करेगा।

17. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि विवादित फैसले के पैरा 31 (vi) में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष गलत है और यदि इसे बरकरार रखा जाता है तो ग्रिड पूरी तरह से ध्वस्त हो सकता है। उनका तर्क होगा कि अपीलकर्ता बोर्ड को अपने कार्यों की योजना बनाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वह अपने उपभोक्ताओं को आवश्यक बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम है। जुड़ा हुआ भार/अनुबंधित भार यह सुनिश्चित करता है कि बोर्ड को पता हो कि प्रत्येक उपभोक्ता को कितनी बिजली की आपूर्ति की जानी है। 18. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि ग्रिड से अतिरिक्त बिजली की अधिक निकासी के परिणामस्वरूप केंद्रीय ग्रिड से बिजली खरीदते समय बोर्ड पर जुर्माना लगेगा। जुड़े हुए भार की गणना उपभोक्ता द्वारा अपने परिसर में जुड़े उपकरणों की संख्या के आधार पर की जाती है। निरीक्षण के दौरान भी यही बात स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए, यदि उपभोक्ता 10 के जुड़े हुए भार के लिए सहमत है

जुड़ा हुआ भार, 20 किलोवाट होने पर, यह सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार अधिनियम 2003 की धारा 126 (6) के तहत 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' होगा। 19. विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें कुछ महत्वपूर्ण बात समझाई। श्री बसंत के अनुसार, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि यह

यह तभी अनधिकृत उपयोग बन जाता है जब उक्त उपयोग से प्रणाली के उन्नयन की आवश्यकता होती है, इसे विकृत कहा जा सकता है क्योंकि यह केवल वितरण प्रणाली में व्यवधान पैदा करने के लिए जिम्मेदार अंतिम उपभोक्ता को दंडित करेगा, न कि सामूहिक रूप से उन उपभोक्ताओं को जो अनधिकृत उपयोगकर्ता भी हैं। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रणाली का पतन कई उपभोक्ताओं द्वारा जुड़े हुए भार/अनुबंधित भार से अधिक बिजली लेने के परिणामस्वरूप होगा और

इसलिए, प्रणाली के ध्वस्त होने के लिए केवल अंतिम उपभोक्ता/ग्राहक को दंडित करना अव्यवहारिक होगा और उपभोक्ताओं के लिए अतिरिक्त बिजली लेने से रोकने का काम नहीं करेगा। 20. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री बसंत प्रार्थना करते हैं कि उनकी अपीलों में योग्यता होने के कारण, उन्हें अनुमति दी जा सकती है और [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित किया जा सकता है।

न्यायालय जिस हद तक संहिता के विनियम 153 (15) पर निर्भर करता है, उसे दरकिनार किया जा सकता है।

प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियाँ

(उपभोक्ता) 21. प्रत्यर्थी की ओर से प्रचार की गई प्रस्तुतियाँ

उमर्स) को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः

1. प्रत्यर्थी (उपभोक्ता) की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार ढंग से कहा कि कानून की किसी भी त्रुटि की बात न करने में उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार रखने में कोई त्रुटि नहीं कही जा सकती है कि यदि उसी परिसर में और उसी उद्देश्य के लिए बिजली की अधिक निकासी का पता चलता है, तो यह बिजली के अनधिकृत उपयोग के बराबर नहीं होगा।

अधिनियम 2003 की धारा 126 का अर्थ।

2. इसके अलावा, 2014 की संहिता का विनियमन 153 निम्नलिखित से संबंधित है - अनधिकृत अतिरिक्त भार का आकलन और नियमितीकरण। विनियमन अतिरिक्त भार को अनधिकृत अतिरिक्त भार के रूप में माने जाने के लिए सीमा को परिभाषित करता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि लाइसेंसधारी स्वतः या उपभोक्ता के आवेदन पर खंड (ए) और खंड में उल्लिखित ऐसे अतिरिक्त भार को नियमित कर सकता है।

(ख) विनियम 153 (4)।

3. विनियम 153 (15) में आगे यह प्रावधान है कि अनधिकृत

उसी परिसर में और उसी शुल्क के तहत अतिरिक्त भार को बिजली के अनधिकृत उपयोग के रूप में नहीं माना जाएगा, सिवाय इसके कि

उपभोक्ता के मामले में जुड़े हुए भार के आधार पर बिल किया जाता है। संहिता 2014 के विनियम 153 (15) में केरल विद्युत आपूर्ति (संशोधन) संहिता 2016 के माध्यम से संशोधन किया गया है, जो 04.02.2016 पर लागू हुआ, जिसमें 'अपवाद' शब्द जोड़े गए हैं। उपभोक्ता के मामले में उस उप-विनियम के अंत में जुड़े हुए भार के आधार पर बिल किया जाता है। इस तरह का संशोधन तब किया गया था जब यह पाया गया कि जुड़े हुए भार के आधार पर शुल्क लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए विनियमन 153 (15) के लागू होने से लाइसेंसधारियों को उतना ही वित्तीय नुकसान होगा जितना अतिरिक्त जुड़े हुए भार के लिए लाइसेंसधारक शुल्क के हकदार हैं।

जुड़े हुए भार के आधार पर मांग की गई। यहां तक कि आज की तारीख में इस संशोधन को भी अपीलकर्ता बोर्ड द्वारा विनियमन (ओं) को अधिकार से बाहर बताते हुए खारिज करने की अपनी याचिका के साथ निरर्थक बनाने की मांग की गई है।

आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

4. विवादित फैसले के अक्षर और भावना को समझने के लिए

यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विवादित फैसले के पैराग्राफ 26 में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां तक घरेलू उपभोक्ताओं का संबंध है, निश्चित शुल्क एक निर्दिष्ट दर पर लगाए जाते हैं, चाहे जुड़ा हुआ भार या वास्तविक खपत के लिए ऊर्जा शुल्क कुछ भी हो। न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि भले ही घरेलू उपभोक्ता के परिसर में अतिरिक्त जुड़ा हुआ भार हो, बिजली शुल्क उपभोक्ता से वसूल किया जा सकता है।

परिवर्तन नहीं होता है और इस तरह, अतिरिक्त जुड़े हुए भार के परिणामस्वरूप लाइसेंसधारी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा। अनिवार्य रूप से घरेलू उपभोक्ता को वास्तविक ऊर्जा की खपत के लिए भुगतान करना होगा। विशेष रूप से, निश्चित शुल्कों में कोई भिन्नता नहीं है।

5. संहिता 2014 के विनियमों में अधिनियम 2003 को प्रचलित स्थानीय परिस्थितियों के संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है और अधिनियम और संहिता का एक संयुक्त (उद्देश्यपूर्ण) अध्ययन सर्वोपरि है। कोई भी अन्य रीडिंग (अल्ट्रा वायर्स के रूप में पढ़ने सहित) कोड 2014 को एक खाली पात्र बनाती है। उच्च न्यायालय का उपरोक्त तर्क धारा 126 या धारा 135 के प्रावधानों को प्रतिस्थापित नहीं करता है, लेकिन केवल संहिता 2014 के प्रासंगिक विनियमों को पढ़कर (संयोजन में) इसके पूरक का प्रयास करता है। 6. संहिता 2014 के विनियम 2 (24) में कहा गया है कि के. डब्ल्यू. या के. वी. ए. में व्यक्त "कनेक्टेड लोड" का अर्थ है सभी ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों या उपकरणों की रेटेड क्षमताओं का समग्र, जिनका उपयोग एक साथ किया जा सकता है, उपभोक्ता के परिसर में स्टैंडबाय लोड को छोड़कर, जो वितरण लाइसेंसधारी की सेवा लाइन से जुड़े हैं। विनियमन 2 (78) 'अनधिकृत जुड़े हुए भार' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है जुड़े हुए भार

अनुबंध से जुड़े भार की अधिकता और विनियमन 2 (79) 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है

2003 के अधिनियम की धारा 126 में वर्णित बिजली। जैसा कि होगा।

दिखाया जाए कि विनियमन 2 (78) जुड़ा हुआ भार है जो [विनियमन 2 (24)] से अधिक है। और विनियमन 2 (78) बिजली का अनधिकृत उपयोग है। यह भेद महत्वपूर्ण है और उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय के पैरा 5,18 में इसका विश्लेषण किया गया है।

7. उच्च न्यायालय अपने दायरे में था जब उसने विनियमों को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा। इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि विधानमंडल और उसके प्रतिनिधि निर्णय लेने की शक्ति के एकमात्र भंडार हैं। इसके अलावा, [2022] 9 एस. सी. आर. द्वारा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।

कोई कानूनी दुर्बलता, या (ii) पूरी तरह से इसके दायरे से बाहर होना विनियमन-बनाने की शक्ति, या (iii) किसी के साथ असंगत होना

मूल अधिनियम के प्रावधान। विवादित फैसला

उच्च न्यायालय ने कानून को सही ढंग से पढ़ा और लागू किया

स्थापित न्यायिक स्थिति।

8. अपीलार्थी बोर्ड का रुख है कि नियमितीकरण है

अल्ट्रा वायर्स, अपने पूर्ण बोर्ड के फैसले के खिलाफ है। एक पूर्ण के. एस. ई. बी. के बोर्ड ने 27.07.2002 पर जल्द ही संशोधन करने का निर्णय लिया

छूट के लिए आपूर्ति की शर्तों, 1990 का विनियम 42 (डी)

निम्नलिखित तरीके सेः (i) [.]

((ii) घरेलू उपभोक्ताओं के अलावा एल. टी. ग्राहकों के मामले में,

अनधिकृत अतिरिक्त भार के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रति किलोवाट निर्धारित शुल्क के दोगुने की दर से

प्रति माह या उसके हिस्से को तब तक लोड करें जब तक कि उक्त अनधिकृत

अतिरिक्त भार को नियमों के अनुसार हटा दिया जाता है या नियमित किया जाता है।

(iii) एच. टी. और ई. एच. टी. उपभोक्ताओं के मामले में

अनधिकृत अतिरिक्त भार की दर से लगाया जाएगा अतिरिक्त भार के लिए प्रति केवीए मांग शुल्क का दोगुना

कथित अनधिकृत अतिरिक्त भार को हटा दिया जाता है या

नियमों के अनुसार नियमित।

9. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, विद्वान परामर्शदाता

उत्तरदाता (उपभोक्ता) के लिए अंगूठी ने प्रार्थना की कि कोई नहीं है

अपीलार्थी बोर्ड द्वारा दायर अपीलों में, उन्हें खारिज किया जा सकता है।

केरल राज्य के स्वयं के बारे में टिप्पणियां

विनियमन

आयोग

बिजली

(जवाब सं। 3) 22. यह आयोग यानी प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत किया जाता है।

8 2018 के एस. एल. पी. (सी) सं. 7886-7887 में, कि दो प्रकार के हैं

जी ने विचार कियाः

(a) कनेक्टेड लोड आधारित बिलिंग-कनेक्टेड लोड आधारित होने के मामले में

अनधिकृत उपयोग के रूप में माना जाएगा। वही संकेत दिया गया है विनियमन 153 (15) में ही, जैसा कि 11.01.2016 पर संशोधित किया गया है।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस। वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(ख) अनुबंध मांग आधारित बिलिंग-हालांकि यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुबंध मांग आधारित बिलिंग के मामले में, अतिरिक्त भार को जोड़ना धारा के तहत "अनधिकृत उपयोग" के बराबर नहीं होगा।

126 अधिनियम से।

23. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अनुबंध मांग अधिकतम मांग है जिसे लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ता को आपूर्ति करने के लिए सहमत किया जाता है। यही उस अधिकतम भार का संकेत है जिसे किसी भी समय उपभोक्ता के परिसर में खींचा जा सकता है। यह संभव है कि किसी भी समय उपभोक्ता की अधिकतम मांग अनुबंध की मांग से अधिक हो। हालांकि, विनियमन 153 (15) के अनुसार, इस तरह की अतिरिक्त मांग को अवैध उपयोग के रूप में नहीं माना जाएगा।

बिजली। बल्कि, संहिता 2014 का विनियम 101 उन परिणामों को प्रदान करता है जहां अधिकतम मांग अनुबंध से अधिक है। माँगें। उक्त विनियमन में यह निर्धारित किया गया है कि यदि पिछली अवधि के दौरान 3 बिलिंग अवधि में अधिकतम मांग अनुबंध मांग से अधिक है।

अनुबंध मांग, निश्चित/मांग शुल्क इस तरह की अतिरिक्त मांग के लिए लागू मांग शुल्क के 150% पर एकत्र किया जाएगा। जहां तक ऊर्जा शुल्क का संबंध है, उपभोक्ता को वास्तविक उपयोग के अनुसार बिल दिया जाएगा। इसके अलावा, संहिता 2014 के विनियमन 153 (12) के अनुसार जहां बुनियादी ढांचा किसी उपभोक्ता के अतिरिक्त भार को नियमित करने या अनुबंध की मांग को बढ़ाने की अनुमति नहीं देता है, ऐसे उपभोक्ताओं को इस तरह के भार को काटने या अपनी मांग को अनुबंध सीमा तक सीमित करने की आवश्यकता होती है, ऐसा न करने पर बिजली की आपूर्ति काट दी जा सकती है। इसलिए, संहिता 2014 और शुल्क आदेश इन चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करते हैं - दोनों (i) राजस्व हानि; और (ii) अतिरिक्त भार/अतिरिक्त मांग के मामलों में अवसंरचनात्मक बाधाएं। अपवाद यह है कि जहां इस तरह के अतिरिक्त भार/अतिरिक्त मांग के परिणामस्वरूप उद्देश्य में परिवर्तन या शुल्क में परिवर्तन होता है, उस स्थिति में यह अधिनियम 2003 की धारा 126 के दायरे में आएगा। यह इंगित करना प्रासंगिक है कि वर्तमान कार्यवाही में संहिता 2014 के किसी भी प्रावधान के अधिकारों को कोई चुनौती नहीं है।

24. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस संदर्भ में की गई थीं: उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग वितरण (आपूर्ति की शर्तें) विनियम, 2004 और ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड द्वारा विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए मानक समझौता प्रपत्र। [2022] 9 एस. सी. आर.

उक्त निर्णय में की गई टिप्पणियों को वर्तमान मामले पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। अधिनियम 2003 की धारा 126 का स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है (जोर दिया गया है):

" स्पष्टीकरण। - इस धारा के प्रयोजनों के लिए,-(बी) "अनधिकृत" बिजली के उपयोग का अर्थ है बिजली का उपयोग।

((i) किसी भी कृत्रिम माध्यम से; या

((ii) किसी ऐसे माध्यम से जो संबंधित व्यक्ति द्वारा अधिकृत नहीं है या

प्राधिकरण या लाइसेंसधारी; या

((ग) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; या

((iv) बिजली के उपयोग के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए

अधिकृत किया गया था; या

(v) उन परिसरों या क्षेत्रों के अलावा जिनके लिए

बिजली की आपूर्ति को अधिकृत किया गया था।

25. यह स्पष्ट है कि जहां तक केरल का संबंध है, संहिता 2014 विशेष रूप से अतिरिक्त भार/अधिकता के लिए एक निश्चित छूट प्रदान करती है। एक ही परिसर के भीतर और एक ही शुल्क के तहत मांग, विनियमन 101 और विनियमन 153 की कठोरता के अधीन, और संबंधित शुल्क आदेश के तहत अतिरिक्त मांग के संबंध में नियमित दरों के डेढ़ गुना पर दंडात्मक मांग शुल्क। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उड़ीसा राज्य में लागू आपूर्ति विनियम केरल में संकीर्ण तरीके से लागू नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना उत्पादन, आपूर्ति और

26. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रार्थना की कि इसमें कोई योग्यता नहीं है बोर्ड द्वारा दायर अपीलों को खारिज किया जा सकता है।

विश्लेषण

27. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने पारित करने में कोई त्रुटि की है

आक्षेपित निर्णय और आदेश विशेष रूप से, आक्षेपित निर्णय के पैरा 31 (vi) में दर्ज निष्कर्ष?

28. हमारे लिए इस स्तर पर ही यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि

अपीलकर्ता बोर्ड द्वारा अपील दायर की गई है, जो अनिवार्य रूप से केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओआरएस है।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विवादित फैसले के पैरा 31 (vi) में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष से व्यथित और असंतुष्ट। उच्च न्यायालय ने पैरा 31 (vi) के अलावा पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले कई अन्य मुद्दों पर विचार किया है। किसी भी उपभोक्ता के कहने पर कोई क्रॉस अपील नहीं है। हम. जहाँ तक पैरा 31 (vi) का संबंध है, केवल उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष की वैधता और वैधता पर गौर करने और निर्णय लेने का प्रस्ताव है। हम पैरा 31 (vi) के अलावा उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए किसी अन्य मुद्दे पर नहीं जाएँगे।

29. दोनों तरफ से प्रचार किए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, हमें योजना और विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों पर गौर करना चाहिए

अधिनियम 2003 के साथ-साथ अधिनियम 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा बनाई गई संहिता 2014।

निर्वाचन अधिनियम, 2003

30. अधिनियम 2003 के अधिनियमन से पहले, भारतीय बिजली क्षेत्र भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 द्वारा शासित था। (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998। भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 ने इसके लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया

भारत में बिजली आपूर्ति उद्योग। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 ने राज्य विद्युत बोर्डों के निर्माण को अनिवार्य किया, जिनके पास था -

राज्यों के भीतर बिजली की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी। हालांकि, राज्य विद्युत बोर्ड उचित तरीके से शुल्क तय करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करने में असमर्थ थे। यह ध्यान दिया गया कि राज्य सरकारें व्यवहार में शुल्क तय कर रही थीं। राज्य सरकारों को शुल्क निर्धारण की कवायद से दूर रखने के लिए, विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 लागू किया गया था।

31. संसद ने बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण, व्यापार और उपयोग से संबंधित कानूनों को समेकित करने के लिए अधिनियम 2003 लागू किया; बिजली उद्योग का विकास करने और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए। अधिनियम 2003 को बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और प्रावधानों को एक स्व-निहित संहिता में सामंजस्य और समेकित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। अधिनियम 2003 के कारणों के उद्देश्यों का विवरण इस प्रकार हैः

" उत्पादन, संचरण और वितरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की नीति और सरकार से नियामक जिम्मेदारियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ [2022] 9 एस. सी. आर.

विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम 1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम 1948 और विद्युत विनियामक आयोगों के प्रावधानों को सुसंगत और तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता।

एक नए स्व-निहित व्यापक विधान में अधिनियम 1948 का उदय हुआ।

32. अधिनियम 2003 का लंबा शीर्षक इंगित करता है कि इसका उद्देश्य उत्पादन, संचरण, वितरण से संबंधित कानूनों को समेकित करना है।

अधिनियम 2003 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि "यह राज्यों को अपने बिजली क्षेत्र को उस तरीके से विकसित करने के लिए पर्याप्त लचीलापन देता है जिसे वे उचित समझते हैं।" 33. अधिनियम 2003 की धारा 3 में राष्ट्रीय विद्युत नीति और राष्ट्रीय शुल्क नीति तैयार करने का प्रावधान हैः

" 3. राष्ट्रीय विद्युत नीति और योजना। (1) केंद्र सरकार समय-समय पर राष्ट्रीय विद्युत प्रणाली तैयार करेगी। कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु पदार्थ या सामग्री, पनबिजली और अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे संसाधनों के इष्टतम उपयोग के आधार पर बिजली प्रणाली के विकास के लिए राज्य सरकारों और प्राधिकरण के परामर्श से नीति और शुल्क नीति।

(2) केंद्र सरकार राष्ट्रीय विद्युत का प्रकाशन करेगी।

समय-समय पर नीति और शुल्क नीति।

(3) केंद्र सरकार समय-समय पर

राज्य सरकारों और प्राधिकरण के साथ परामर्श,

राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क की समीक्षा या संशोधन

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट नीति।

(4) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार एक राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करेगा और अधिसूचित करेगा

पाँच साल में एक बार ऐसी योजनाः

बशर्ते कि प्राधिकरण राष्ट्रीय तैयारी करते समय

विद्युत योजना राष्ट्रीय विद्युत का मसौदा प्रकाशित करेगी। योजना बनाएँ और उस पर सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित करें

अनुज्ञप्तिधारी, उत्पादन करने वाली कंपनियाँ और जनता ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए:

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस। वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

बशर्ते कि प्राधिकरण -

(क) केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद योजना को अधिसूचित करें।

सरकार;

(ख) केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी देते समय दिए गए निर्देशों, यदि कोई हों, को शामिल करते हुए योजना में संशोधन करना।

खंड (ए) के तहत। (5) प्राधिकरण राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना की समीक्षा या संशोधन कर सकता है।

उपरोक्त प्रावधान के संदर्भ में, केंद्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति और राष्ट्रीय शुल्क नीति तैयार करनी होगी। राज्य सरकारों और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ परामर्श।

पारेषण उपयोगिता (सीटीयू)। सी. टी. यू. को वैधानिक रूप से अधिकार प्राप्त है अंतर-राज्य पारेषण प्रणालियों के माध्यम से बिजली का संचरण करना। सी. टी. यू. को योजना बनाने के कार्यों का भी निर्वहन करना होता है और

अंतर-राज्य संचरण प्रणालियों से संबंधित समन्वय। इस उद्देश्य के लिए, सी. टी. यू. को राज्य पारेषण उपयोगिता के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है।

(एसटीयू), केंद्र और राज्य सरकारें, उत्पादन करने वाली कंपनियां, प्राधिकरण और लाइसेंसधारी। 36. अधिनियम 2003 की धारा 39 में कहा गया है कि राज्य सरकार बोर्ड या किसी भी सरकारी कंपनी को एसटीयू के रूप में अधिसूचित कर सकती है। द.

एसटीयू अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली के माध्यम से बिजली का पारेषण करेगा और अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली की योजना और समन्वय से संबंधित निर्वहन कार्य करेगा। अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, एस. टी. यू. को योजनाबद्ध पहलों को प्रतिबिंबित करने की आवश्यकता होती है

समय-समय पर पंचवर्षीय योजना प्रकाशित करके अंतर-राज्य संचरण प्रणाली। 37. अधिनियम 2003 की धारा 76 और 82 केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग और राज्य विद्युत नियामक का गठन करती हैं।

क्रमशः आयोग। केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोग अन्य कार्यों के अलावा, बिजली के अंतर-राज्य संचरण और अंतर-राज्य संचरण [2022] 9 एस. सी. आर. के लिए शुल्क निर्धारित और विनियमित करेंगे।

क्रमशः बिजली। अधिनियम 2003 की धारा 79 (3) और (4) और 86 (3) और (4) में यह निर्धारित किया गया है कि केंद्रीय और राज्य आयोग,

उनके कार्यों का निर्वहन पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, और राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय विद्युत योजना और शुल्क नीति द्वारा 'निर्देशित' किया जाएगा। केंद्र और राज्य आयोग सलाहकार कार्यों का भी निर्वहन करते हैं, जिसके तहत वे अन्य बातों के साथ-साथ संबंधित गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देते हैं।

बिजली उद्योग और बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण से संबंधित मामलों में। धारा 25 में कहा गया है कि केंद्र सरकार बिजली के अंतर-राज्य, क्षेत्रीय और अंतर-क्षेत्रीय संचरण की सुविधा के लिए बिजली के एकीकृत संचरण के उद्देश्य से देश का क्षेत्रवार सीमांकन कर सकती है। धारा 30 में प्रावधान है कि राज्य आयोग सुविधा प्रदान करेगा और बढ़ावा देगा।

बिजली के पारेषण और आपूर्ति के लिए अपने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर पारेषण, पहियों और अंतर-कनेक्शन व्यवस्था।

38. अधिनियम 2003 की धारा 14 में यह परिकल्पना की गई है कि

आयोग, जिसका अर्थ धारा 2 (4) में केंद्रीय या राज्य नियामक आयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, किसी को भी लाइसेंस प्रदान कर सकता है।

व्यक्तिः

((ख) वितरण अनुज्ञप्तिधारी के रूप में बिजली वितरित करना; या (ग) बिजली व्यापारी के रूप में किसी भी क्षेत्र में बिजली का व्यापार करना, जैसा कि लाइसेंस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

39. अधिनियम 2003 की धारा 15 में लाइसेंस देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई है। के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन

धारा 14 को ऐसे प्रपत्र में और इस तरह से दाखिल किया जाना चाहिए जो हो सके -

उपयुक्त आयोग द्वारा विहित। जिस व्यक्ति ने लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया है, उसे आवेदन की सूचना प्रकाशित करनी होगी। उपयुक्त आयोग द्वारा लाइसेंस तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि प्राप्त आपत्तियों, यदि कोई हो, पर उपयुक्त आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाता है। आवेदन को सी. टी. यू. या एस. टी. यू. को भी भेजा जाएगा, जैसा भी मामला हो। सी. टी. यू. या एस. टी. यू. को अपनी सिफारिशें उपयुक्त आयोग को भेजनी चाहिए। हालाँकि, सी. टी. यू. या एस. टी. यू. की सिफारिशें उपयुक्त आयोग पर बाध्यकारी नहीं हैं। यदि उपयुक्त आयोग लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव रखता है तो उसे आवेदन की सूचना भी प्रकाशित करनी होगी।

उपयुक्त आयोग को राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओ. आर. एस. का गठन करना होगा। वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

लाइसेंस देने से पहले पारेषण उपयोगिता की आपत्तियों और सिफारिशों पर विचार करें। 40. कानून के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करते हुए, संसद ने बिजली के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य संचरण के बीच स्पष्ट सीमांकन किया है। जबकि सी. टी. यू., केंद्र सरकार और केंद्र

विनियामक आयोग बिजली के अंतर-राज्य संचरण की सुविधा के लिए जिम्मेदार हैं, राज्य आयोग और एसटीयू को बिजली के अंतर-राज्य संचरण के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता दी गई है। 41. अधिनियम 2003 का भाग VII शुल्क से संबंधित है। भाग VII में धारा 61 (प्रशुल्क विनियम), धारा 62 (प्रशुल्क का निर्धारण), धारा 63 (बोली प्रक्रिया द्वारा प्रशुल्क का निर्धारण), धारा 64 (प्रशुल्क आदेश की प्रक्रिया), धारा 65 (राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी का प्रावधान) और धारा 66 (बाजार का विकास) शामिल हैं। धारा 61 के संदर्भ में, उपयुक्त आयोग को अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अधीन, शुल्क के निर्धारण के लिए नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करने का काम सौंपा गया है। नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करते समय, उपयुक्त आयोग निर्दिष्ट आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होगा।

खंड (ए) से (आई) में। उनमें से खंड (i) में राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति है, जबकि खंड (c) में इसकी आवश्यकता पर जोर दिया गया है -

प्रतिस्पर्धा, दक्षता, संसाधनों के किफायती उपयोग, अच्छा प्रदर्शन और इष्टतम निवेश को प्रोत्साहित करना। धारा 62 (1) उपयुक्त आयोग को शुल्क निर्धारित करने का अधिकार देती है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के लिए -

ए। एक उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण के लिए बिजली की आपूर्ति

लाइसेंसधारी;

बी। बिजली का संचरण;

सी। बिजली का चक्र;
डी। बिजली की खुदरा बिक्री।

धारा 63 में प्रावधान है कि धारा 62 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, उपयुक्त आयोग बोली प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित शुल्क को अपनाएगा यदि केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से शुल्क निर्धारित किया गया है।

42. हालाँकि, हमारे उद्देश्य के लिए जो प्रासंगिक है वह अधिनियम 2003 की धारा 50, धारा 126 और धारा 181 का जवाब है। धारा 50 के संबंध में है

विद्युत आपूर्ति कोड। वही इस प्रकार पढ़ता है:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 50. विद्युत आपूर्ति कोड। - राज्य आयोग बिजली शुल्क की वसूली, बिजली शुल्क के बिलिंग के लिए अंतराल, भुगतान न करने पर बिजली की आपूर्ति को काटने के लिए एक बिजली आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करेगा। बिजली की आपूर्ति की बहाली, रोकथाम के उपाय

बिजली संयंत्र या बिजली की लाइन या मीटर में छेड़छाड़, परेशानी या क्षति, वितरण लाइसेंसधारी या उसकी ओर से काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का प्रवेश, बिजली की लाइनों या बिजली संयंत्रों को बदलने, बदलने या बनाए रखने के लिए प्रवेश

या मीटर और इस तरह के अन्य मामले।

43. धारा 126 अधिनियम 2003 के भाग 12 में आती है। भाग बारहवाँ डी में जाँच और प्रवर्तन के लिए है। धारा 126 में सीमेंट का प्रावधान है। धारा 126 इस प्रकार हैः

" 126. मूल्यांकन। - (1) यदि किसी स्थान के निरीक्षण पर या परिसर में या जुड़े हुए या उपयोग किए गए उपकरणों, उपकरणों, मशीनों, उपकरणों के निरीक्षण के बाद, या किसी भी व्यक्ति द्वारा रखे गए रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद, मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ऐसा व्यक्ति अनधिकृत उपयोग में लिप्त है।

बिजली, वह अस्थायी रूप से अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार ऐसे व्यक्ति या ऐसे उपयोग से लाभान्वित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क का आकलन करेगा।

(2) अनंतिम निर्धारण का आदेश उस व्यक्ति पर लागू किया जाएगा जो व्यवसाय या कब्जे में है या राज्य के प्रभारी है।

स्थान या परिसर ऐसी रीति से जो विहित की जाए।

(3) जिस व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत आदेश दिया गया है, वह आपत्तियां, यदि कोई हों, दायर करने का हकदार होगा। निर्धारण अधिकारी के समक्ष अनंतिम मूल्यांकन के विरुद्ध, जो ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद तीस के भीतर मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित करेगा।

ऐसे अनंतिम आदेश की सेवा की तारीख से दिन

ऐसे व्यक्ति द्वारा देय बिजली शुल्क का निर्धारण।

(4) अनंतिम मूल्यांकन के आदेश के साथ सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति इस तरह के मूल्यांकन को स्वीकार कर सकता है और इस तरह की सेवा के सात दिनों के भीतर लाइसेंसधारी के पास निर्धारित राशि जमा कर सकता है।

उस पर अस्थायी मूल्यांकन आदेश।

(5) यदि मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, मूल्यांकन आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान ऐसी

तुरंत पहले के बारह महीनों की अवधि तक सीमित निरीक्षण की तिथि।

(6) इस धारा के तहत मूल्यांकन एक दर पर किया जाएगा।

संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर उप-धारा (5) में विनिर्दिष्ट सेवाओं की।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(क) "निर्धारण अधिकारी" से किसी राज्य का अधिकारी अभिप्रेत है।

सरकार या बोर्ड या अनुज्ञप्तिधारी, जैसा भी मामला हो,

राज्य सरकार द्वारा नामित;

(ख) "बिजली का अनधिकृत उपयोग" का अर्थ है -

बिजली%

या प्राधिकरण या लाइसेंसधारी; या ((ग) छेड़छाड़ किए गए मीटर के माध्यम से; या

((iv) इसके अलावा अन्य उद्देश्य के लिए जिसका उपयोग किया जाता है बिजली अधिकृत थी; या

(v) उन परिसरों या क्षेत्रों के अलावा जिनके लिए

बिजली की आपूर्ति को अधिकृत किया गया था।

44. अधिनियम 2003 की धारा 181 राज्य को शक्तियां प्रदान करती है।

विनियमों को बनाने के लिए आयोग। धारा 181 (2) (x) इस प्रकार हैः

" 181. विनियम बनाने के लिए राज्य आयोगों की शक्तियाँ।

XX

XX

XX

(2) विशेष रूप से और इसकी व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना

उप-धारा (1) में निहित शक्ति, ऐसे विनियम प्रदान कर सकते हैं

निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए, अर्थात्:

XX

XX

XX

(x) धारा 50 के तहत बिजली आपूर्ति कोड; ". [2022] 9 एस. सी. आर.

45. अब हम संहिता 2014 पर गौर करेंगे। नियम 1 पढ़ता है

" 1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। - (1) यह कोड

इसे केरल विद्युत आपूर्ति संहिता, 2014 कहा जाएगा।

(i) मानित लाइसेंसधारियों सहित सभी वितरण लाइसेंसधारियों और केरल राज्य के सभी उपभोक्ता और उपयोगकर्ता; और

((ii) अन्य सभी व्यक्ति और संस्थान जिन्हें इसके तहत छूट दी गई है।

अधिनियम की धारा 13।

(3) यह पहले दिन से लागू होगा।

अप्रैल, 2014 "।

46. विनियम 2 परिभाषाओं का प्रावधान करता है। वाक्यांश 'अनुबंधित'

विनियमन 2 (27) के तहत परिभाषित 'उत्सर्जित भार' इस प्रकार हैः

" 2. परिभाषाएँ। इस संहिता में, जब तक कि यह इसके प्रतिकूल न हो

संदर्भ,

XX

XX

XX

(27) " अनुबंधित जुड़ा हुआ भार "का अर्थ है जुड़ा हुआ भार

सेवा निष्पादित करते समय उपभोक्ता द्वारा स्थापित कनेक्शन समझौता और में केडब्ल्यू/केवीए में दर्ज किया गया

उक्त समझौते के लिए अनुसूची या विधिवत जुड़े हुए भार

इसके बाद संशोधित; "

47. विनियम 2 (28) 'अनुबंधित भार' शब्दों को परिभाषित करता है या

कैक्ट डिमांड '। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 2. परिभाषाएँ। - इस संहिता में, जब तक कि यह इसके प्रतिकूल न हो

संदर्भ,

XX

XX

XX

के. डब्ल्यू. या के. वी. ए. में अधिकतम मांग, द्वारा आपूर्ति करने के लिए सहमत वितरण लाइसेंसधारी और निष्पादित समझौते में इंगित

अनुज्ञप्तिधारी और उपभोक्ता के बीच; या अनुबंधित

भार या अनुबंध मांग को उसके बाद विधिवत संशोधित किया गया;

48. विनियम 2 (78) 'अनधिकृत रूप से जुड़ा हुआ' वाक्यांश को परिभाषित करता है।

. वही इस प्रकार पढ़ता हैः

आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 2. परिभाषाएँ। - इस संहिता में, जब तक कि यह इसके प्रतिकूल न हो

संदर्भ,

XX

XX

XX

(78) " अनधिकृत जुड़े हुए भार का अर्थ है जुड़े हुए भार

अनुबंधित जुड़े हुए भार से अधिक; " 49. विनियम 2 (79) वाक्यांश 'के अनधिकृत उपयोग' को परिभाषित करता है।

धन '। वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 2. परिभाषाएँ। - इस संहिता में, जब तक कि यह इसके प्रतिकूल न हो

संदर्भ,

XX

XX

XX

(79) " बिजली के अनधिकृत उपयोग का अर्थ है

अधिनियम की धारा 126 में वर्णित बिजली;

50. विनियम 153 संहिता 2014 के अध्याय IX के अंतर्गत आता है।

टेर IX चोरी, अनधिकृत उपयोग और अन्य अनियमितताओं के संबंध में है।

विनियम 153 इस प्रकार हैः

" 153. अनधिकृत का अनुमान और नियमितीकरण

अतिरिक्त भार। - (1) यदि यह पता चलता है, निरीक्षण पर, कि स्वीकृत भार से अधिक अतिरिक्त भार लगाया गया है।

अनुज्ञप्तिधारी से उचित मंजूरी के बिना प्रणाली से जुड़ा हुआ,

निम्नलिखित के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उपनियमन।

(2) कुल जुड़े हुए भार के बीच का अंतर

निरीक्षण के समय उपभोक्ता का परिसर और

उपभोक्ता के स्वीकृत भार की गणना इस प्रकार की जाएगी -

अनधिकृत अतिरिक्त भार।

(3) जुड़े हुए भार का निर्धारण निम्नलिखित के अनुसार किया जाएगाः

निम्नलिखित उपकरण और उपकरण नहीं लिए जाएंगे। ध्यान में रखनाः

आई. उपभोक्ताओं के स्टैंडबाय उपकरण, जब वे स्विच पर बदलाव के माध्यम से संचालित होते हैं;

ii. अग्निशमन उपकरण;

iii. बिना बाधित बिजली आपूर्ति उपकरण (यूपीएस), स्विच मोड बिजली आपूर्ति प्रणाली (एसएमपीएस), ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर, रेक्टिफायर और मापने वाले उपकरणः

बशर्ते कि उपकरण की मूल्यांकन क्षमताएँ और यूपीएस या एसएमपीएस या वोल्टेज स्टेबलाइज़र से जुड़ा उपकरण

या जुड़े हुए भार की गणना के लिए इन्वर्टर या रेक्टिफायर पर विचार किया जाएगा।

(4) (क) यदि घरेलू उपभोक्ताओं के मामले में अतिरिक्त भार स्वीकृत भार का बीस प्रतिशत या उससे कम है तो इसे अनधिकृत अतिरिक्त भार के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ख) यदि अन्य उपभोक्ताओं के मामले में अतिरिक्त भार स्वीकृत भार के दस प्रतिशत या उससे कम है, तो इसे अनधिकृत अतिरिक्त भार के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ग) अनुज्ञप्तिधारी स्वतः या उपभोक्ता के आवेदन पर खंड में उल्लिखित ऐसे अतिरिक्त भार को नियमित कर सकता है।

(क) और खंड (ख) ऊपर।

इसके लिए उपनियमन (4) के खंड (ग) के तहत मंजूरी प्राप्त नहीं की गई है। (6) मांग आधारित शुल्क के तहत बिल किए गए उपभोक्ताओं के मामले में, परीक्षण सह पूर्णता रिपोर्ट में घोषित कुल भार

उपभोक्ता की स्थापना, कनेक्शन प्राप्त करने के समय प्रस्तुत या ऊर्जा में उल्लिखित भार विद्युत निरीक्षक या भार द्वारा दी गई मंजूरी

अनुबंध की मांग को संशोधित करने या जुड़े हुए भार को संशोधित करने के समय को स्वीकृत जुड़े हुए भार के रूप में लिया जा सकता है।

(7) यदि यह पाया जाता है कि कोई अतिरिक्त भार जोड़ा गया है

अनुज्ञप्तिधारी से उचित प्राधिकरण के बिना या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियमों, आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करते हुए।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

2010 , समय-समय पर संशोधित के अनुसार, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को इस तरह के अतिरिक्त भार को तुरंत बंद करने का निर्देश देगा।

और उपभोक्ता ऐसे निर्देश का पालन करेगा, जिसमें विफल रहने पर उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति लाइसेंसधारी द्वारा काट दी जाएगी।

आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर और अनुबंध की मांग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है संहिता का विनियम 99।

(9) यदि यह पाया जाता है कि अनुबंध की मांग में किसी भी वृद्धि के बिना अतिरिक्त भार जोड़ा गया है, तो लाइसेंसधारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर समझौते के प्रावधानों के अनुसार जुड़े हुए भार को नियमित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।

(10) यदि यह पाया जाता है कि अतिरिक्त भार जोड़ा गया है

अनुज्ञप्तिधारी से उचित प्राधिकरण के बिना और अनुबंध की मांग को पार कर लिया गया है, आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर दर्ज की गई अधिकतम मांग के लिए समझौते की शर्तों के अनुसार मांग शुल्क के संग्रह के अलावा अतिरिक्त भार को नियमित करने और अनुबंध की मांग को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं:

बशर्ते कि अतिरिक्त भार का ऐसा नियमितीकरण और अनुबंध मांग में वृद्धि यह सुनिश्चित करने के बाद ही की जाएगी कि तार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुरूप किए गए हैं, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।

(11) उपरोक्त उपनियमन (9) और (10) में निर्दिष्ट कार्यवाहियां उन मामलों में लागू होती हैं जहां नियमितीकरण

अनधिकृत जुड़े हुए भार या अनुबंध की मांग में वृद्धि के लिए आपूर्ति के वोल्टेज स्तर को बढ़ाने या मौजूदा वितरण प्रणाली के उन्नयन या दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। (12) यदि अनधिकृत जुड़े हुए भार के इस तरह के नियमितीकरण या अनुबंध की मांग में वृद्धि के लिए मौजूदा वितरण प्रणाली या [2022] 9 एस. सी. आर. के उन्नयन की आवश्यकता होगी।

आपूर्ति के वोल्टेज स्तर में वृद्धि, लाइसेंसधारी उपभोक्ता को इस तरह के अतिरिक्त भार के साथ तुरंत डिस्कनेक्ट करने का निर्देश देगा

और अनुबंध की मांग को सहमत सीमा के भीतर प्रतिबंधित करना और उपभोक्ता इस तरह के निर्देश का पालन करेगा, जिसमें विफल रहता है।

जो उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति होगी लाइसेंसधारी द्वारा डिस्कनेक्ट किया गया।

(13) उपरोक्त उपनियमन (9) और (10) के अनुसार अनधिकृत अतिरिक्त भार का नियमितीकरण निम्नलिखित के अधीन होगाः

आयोग द्वारा अधिसूचित दरों पर शुल्क की प्राप्ति

संहिता की अनुसूची 1।

(14) अनधिकृत अतिरिक्त भार से संबंधित प्रावधान उपरोक्त उपनियमनों (1) से (13) में किसी भी घरेलू उपभोक्ता पर लागू नहीं होगा यदि उसका कुल जुड़ा हुआ भार सहित

पता चला अतिरिक्त भार 10 किलोवाट का और उससे कम है।

(15) उसी परिसर में और उसी शुल्क के तहत अनधिकृत अतिरिक्त भार को 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के रूप में नहीं माना जाएगा।

33

51. अब हम सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करेंगे। 52. सीताराम राइस मिल (सुप्रा) में प्रतिवादी चावल के उत्पादन में लगी एक साझेदारी फर्म थी। बिजली की आपूर्ति के लिए, इसने उसमें अपीलार्थी के साथ 09.12.1997 दिनांकित एक समझौता किया था। उसमें प्रत्यर्थी को 'मध्यम उद्योग' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो 99 केवीए की अनुबंध मांग से निपटता था और

ऊपर लेकिन 110 केवीए से नीचे। आई. डी. 1 पर, कार्यकारी अभियंता, जेपोर विद्युत प्रभाग और एस. डी. ओ., विद्युत एम. आर. टी. प्रभाग, जेपोर ने प्रतिवादी की इकाई के व्यावसायिक परिसर का निरीक्षण किया और डंप किया गया। आई. डी. 1 पर, उसमें अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी को अस्थायी मूल्यांकन आदेश जारी किया गया था। उसमें प्रत्यर्थी को सूचना जारी की गई थी कि बिजली का अनधिकृत उपयोग अधिनियम 2003 की धारा 126 के दायरे में आता है। डंप रिपोर्ट में कहा गया था कि बिजली का अनधिकृत उपयोग किया गया था और अधिकतम मांग की खपत 142 केवीए तक की गई थी। इस आधार पर, अनुबंधित मांग को बड़े उद्योग के लिए लागू मानते हुए अनंतिम मूल्यांकन आदेश पारित किया गया था। इसमें प्रत्यर्थी ने आपत्तियां दर्ज नहीं कीं, लेकिन केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस पर अस्थायी मूल्यांकन आदेश को चुनौती दी।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

04.06.2008 के बाद से बिजली के अनधिकृत उपयोग का आरोप लगाकर अस्थायी मूल्यांकन तैयार करने के लिए कार्यकारी अभियंता की ओर से अधिकार और अधिकार क्षेत्र की कमी का आधार। इसमें प्रतिवादी ने तर्क दिया कि चूंकि इसे मध्यम पैमाने के उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया था, इसलिए बड़े उद्योग से संबंधित डंप शुल्क के आधार पर अस्थायी मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि

अधिकतम मांग 'अनधिकृत उपयोग' के दायरे में नहीं आएगी।

उक्त अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण के उपखंड (ख) द्वारा परिभाषित 'विद्युत का'। उच्च न्यायालय ने अस्थायी मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम 2003 की योजना की पृष्ठभूमि में उक्त अधिनियम की धारा 126,127 और 135 के दायरे की जांच की और अपने निष्कर्षों का सारांश इस प्रकार दियाः

2003 एक्ट करें।
2. 2003 के अधिनियम की धारा 126 में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति "बिजली के अनधिकृत उपयोग का अर्थ" व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति है और इसका उद्देश्यपूर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए।

अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक व्याख्या के विपरीत। अन्य बातों के साथ-साथ जुड़े हुए भार की तुलना में अधिक भार खपत के मामलों में कमी आएगी।

2003 के अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) के तहत, इसके अलावा यह अधिनियम के विनियम 82 और 106 का उल्लंघन है।

समझौते के नियम और शर्तें।

3. 2003 के अधिनियम की धारा 127 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, केवल धारा 126 (3) के तहत पारित मूल्यांकन का अंतिम आदेश धारा 127 के तहत अपील योग्य आदेश है और धारा 126 (2) के तहत किया गया नोटिस-सह अनंतिम मूल्यांकन नहीं है।

अपील योग्य।

4. इस प्रकार, उच्च न्यायालय को आम तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 2003 के अधिनियम की धारा 126 (3) के संदर्भ में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन के अंतिम आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर देना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र में कोई त्रुटि नहीं की

नोटिस/अस्थायी मूल्यांकन को अधिकार क्षेत्र में चुनौती देने वाले आदेश के खिलाफ रिट याचिका पर विचार करना।

दिनांकित आदेश 25-07-2009। हालांकि, उच्च न्यायालय ने

मूल्यांकन के आदेश को पारित करने और तथ्यात्मक निर्धारण से संबंधित निर्धारण अधिकारी के विशेष क्षेत्र में यात्रा करते समय अपनी अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया।

मामले का विवाद।

6. उच्च न्यायालय ने अधिकार क्षेत्र के मुद्दे से निपटने के बाद, कार्रवाई का उचित तरीका रिमांड होना चाहिए था उपभोक्ता को
अपनी आपत्तियां, यदि कोई हों, धारा 126 (3) के तहत दर्ज करने का निर्देश देकर और प्राधिकरण से 2003 की धारा 126 (5) के तहत विचार के अनुसार मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित करने की अपेक्षा करके निर्धारण प्राधिकरण को मामला।

कानून के अनुसार कार्य करें। "

53. हमारी राय में, ऊपर उद्धृत पहले दो निष्कर्ष पूरी तरह से अपीलार्थी बोर्ड का समर्थन करते हैं। विद्वान वकील उपस्थित हो रहा है

उपभोक्ताओं के लिए और आयोग ने इस आधार पर सीताराम चावल मिल (उपरोक्त) को वर्तमान मामले से अलग करने का प्रयास किया कि वर्गीकरण/श्रेणी में परिवर्तन हुआ था जो इस मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि यहां उपभोक्ता एल. टी. कनेक्शन वाले वाणिज्यिक/औद्योगिक बने रहते हैं और इसलिए, अधिनियम 2003 की धारा 126 के अर्थ के भीतर अनधिकृत उपयोग का कोई मुद्दा नहीं है। हम इस निवेदन में कोई बल नहीं देखते हैं कि श्रेणी परिवर्तन अधिनियम 2003 की धारा 126 को आकर्षित नहीं करेगा। में। सीताराम राइस मिल (ऊपर), यह तर्क दिया गया था कि केवल उपयोगकर्ता के परिवर्तन के मामलों को अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत शामिल किया जाएगा। इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि धारा 126 का स्पष्टीकरण संपूर्ण नहीं है और बिजली का कोई भी उपयोग जो अनुमत नहीं है और अनुबंध की मांग से परे है, बिजली के अनधिकृत उपयोग के बराबर है और अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत विचार किया गया दोष इस बात पर निर्भर नहीं है कि ओवरड्रॉल किसी अन्य टैरिफ श्रेणी में जाता है या नहीं। हम सीताराम राइस मिल (ऊपर) के प्रासंगिक अनुच्छेदों को उद्धृत कर सकते हैं:

" 18. यह सच है कि राजकोषीय और दंडात्मक कानूनों को आम तौर पर सख्ती से समझा जाता है लेकिन यह नियम अपवादों से मुक्त नहीं है। दी गई स्थितियों में, यह न्यायालय दंडात्मक कानूनों के संबंध में भी यह निर्णय ले सकता है कि किसी भी संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण, शाब्दिक और शाब्दिक निर्माण को लागू नहीं किया जा सकता है, जैसा कि कानून आर. ए. एल. ए. राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओ. आर. एस. है।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

विषय को ध्यान में रखते हुए व्याख्या करनी होगी

अपराध का मामला और वह उद्देश्य जिसे कानून प्राप्त करना चाहता है। 2003 के अधिनियम की धारा 127 के साथ पठित धारा 126 के प्रावधान वास्तव में अपने आप में एक संहिता बन जाते हैं। एक संचालन द्वारा कार्यवाही की शुरुआत से ही

निरीक्षण, अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के अधिकार के लिए, सभी मामले पूरी तरह से इनके अंतर्गत आते हैं।

प्रावधान। यह विशेष रूप से उस राशि की गणना की विधि प्रदान करता है जो एक उपभोक्ता बिजली की अत्यधिक खपत के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और जिस तरह से

इस तरह के अनधिकृत उपभोग पर निहित प्रतिबंध बिजली।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

22. कानून की व्याख्या के विभिन्न सिद्धांतों को लागू करते समय किसी अधिनियम को लागू करने के उद्देश्यों और कारणों की प्रासंगिकता अदालत के लिए एक प्रासंगिक विचार है। आम तौर पर, अदालत अधिनियम के इन उद्देश्यों और कारणों के पीछे नहीं जाएगी। किसी विधेयक पर स्थायी समिति की चर्चा विधायी इरादे का पता लगाने के लिए बहुत उपयुक्त नियम नहीं हो सकता है, लेकिन

स्थितियों के अलावा अन्य स्थितियों को शामिल करने का इरादा विशेष रूप से 2003 के अधिनियम की धारा 135 के तहत शामिल। यह

आगे इस न्यायालय के लिए एक व्याख्या अपनाने का कारण होगा जो विधायी इरादे को प्राप्त करने में मदद करेगा।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

24. उनके स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, 2003 के अधिनियम की धारा 126 और 135 की सामग्री में स्पष्ट अंतर स्पष्ट हैं। वे अलग और अलग प्रावधान हैं जो [2022] 9 एस. सी. आर. में काम करते हैं।

विभिन्न क्षेत्र और कानून में कोई सामान्य आधार नहीं है। हम पहले ही देख चुके हैं कि 2003 के अधिनियम की धारा 126 और 127 को एक साथ पढ़कर एक आदेश पारित करने के लिए सभी प्रासंगिक विचारों को शामिल करते हुए एक पूर्ण संहिता का गठन किया गया है।

उन मामलों में निर्धारण जो 2003 के अधिनियम की धारा 135 के तहत नहीं आते हैं।

XXX

XXX

XXX

37. जहां भी निर्धारण अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, मूल्यांकन उस पूरी अवधि के लिए किया जाएगा जिसके दौरान बिजली का ऐसा अनधिकृत उपयोग हुआ है और यदि ऐसी अवधि का पता नहीं लगाया जा सकता है, तो यह निरीक्षण की तारीख से तुरंत पहले 12 महीने की अवधि तक सीमित होगा और मूल्यांकन संबंधित श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर दर पर किया जाएगा।

इन प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट सेवा। यह गणना इसे 2003 के अधिनियम की धारा 126 (5), 126 (6) और 127 के संदर्भ में लिया जाना चाहिए। पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है

इन अनुभागों। कार्यवाहियों की शुरुआत से लेकर मूल्यांकन और समाप्ति के अंतिम आदेश के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देने तक, यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

44. जिस तरह से बिजली का अनधिकृत उपयोग किया जाता है

अभिलेख पर निर्विवाद रूप से प्रत्यर्थी को 2003 के अधिनियम की धारा 126 के दायरे और दायरे में "दायित्व और दोष के तहत" लाता है। दोष अतिरिक्त भार के संबंध में है जबकि देयता कानून में निर्धारित अवधि के लिए एक अलग टैरिफ पर भुगतान करना है और निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित मूल्यांकन के आदेश के संदर्भ में उसके अधीन निहित शक्तियों द्वारा

2003 के अधिनियम की धारा 126 के प्रावधान।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

50. दूसरे शब्दों में, बिजली के दुरुपयोग/अनधिकृत उपयोग को रोकने के साथ-साथ राजस्व नुकसान की रोकथाम सुनिश्चित करना उद्देश्य है। यह इस पृष्ठभूमि में है कि अभिव्यक्ति "मतलब" का दायरा होना चाहिए समझा जाए। यदि हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति "का अर्थ" आर. ए. एल. ए. राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओ. आर. एस. है।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

बिजली के पूर्ण और अनधिकृत उपयोग के मामले हैं केवल धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) के तहत बताए गए लोगों तक ही सीमित, तो यह 2003 के उद्देश्य को विफल कर देगा।

अधिनियम, आपूर्ति अनुबंध, विनियमों और 2003 अधिनियम के प्रावधानों के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के विभिन्न मामलों के रूप में 2003 अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों के तहत विधायिका द्वारा उन पर लगाए जाने वाले दायित्व से बच जाएगा। अतः यह उचित नहीं होगा।

ताकि अदालतें इस तरह का दृष्टिकोण अपना सकें।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

60. "मतलब", "मतलब और शामिल" और "शामिल नहीं" अभिव्यक्तियाँ विभिन्न अर्थों की अभिव्यक्तियाँ हैं। और महत्व। जब विधायिका ने एक विशेष का उपयोग किया है

इन तीनों में से अभिव्यक्ति को इसका स्पष्ट अर्थ दिया जाना चाहिए, जबकि यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अन्य दो का उपयोग

विधानमंडल द्वारा अभिव्यक्तियों का समर्थन नहीं किया गया है। सरल शब्दों में कहें तो विधायिका ने अन्य विशिष्ट अभिव्यक्तियों के विपरीत इस तरह की अभिव्यक्तियों का उपयोग न करने का समर्थन किया है। वर्तमान मामले में, धारा 126 के स्पष्टीकरण में उपयोग किया गया है -

"शब्द" का अर्थ है "इसके विपरीत" शामिल नहीं है "और/या" अर्थ और शामिल है "। इससे एक स्पष्ट परिणाम सामने आएगा कि विधायिका भी इस प्रावधान के दायरे को पूरी तरह से प्रतिबंधित या सीमित करने का इरादा नहीं रखती थी। 61. बिजली का अनधिकृत उपयोग स्पष्टीकरण के तहत बताए गए खंडों तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे एक व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि आपूर्ति के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के मामलों और ऐसी आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले 2003 के अधिनियम के विनियमों और प्रावधानों को शामिल किया जा सके। बिजली का अनधिकृत उपयोग अपने आप में एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो बिजली के सभी दुरुपयोग या बिजली का उपयोग करते समय अपनाए गए कदाचार को अपने दायरे में ले लेगी। इस अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करना और स्पष्टीकरण में बताई गई श्रेणियों द्वारा इसके अनुप्रयोग को सीमित करना मुश्किल है। यह निर्विवाद है कि एक उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति आपूर्ति के नियमों और शर्तों द्वारा प्रतिबंधित और नियंत्रित होती है।

और 2003 के अधिनियम के प्रावधान।

XXX

XXX

कि बिजली की खपत के लिए शुल्क सीधे स्वीकृत/जुड़े हुए भार से संबंधित हैं और एक निश्चित समय पर खपत किए गए भार से भी यदि यह स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक है। प्रत्यर्थी 110 केवीए तक बिजली का उपभोग कर सकता है लेकिन यदि जुड़ा हुआ भार उस उच्च सीमा को पार कर जाता है, तो प्रत्यर्थी की श्रेणी स्वयं "मध्यम उद्योग" से "बड़े उद्योग" में बदल सकती है जो उच्च शुल्क द्वारा नियंत्रित होगी। 65. आपूर्ति शर्तों के अध्याय VIII में उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों और शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है। बिजली घरेलू, एल. टी. औद्योगिक, एल. टी./एच. टी. औद्योगिक, बड़े उद्योग, भारी उद्योगों और बिजली गहन उद्योगों आदि के लिए प्रदान की जा सकती है। विनियमन 80 के संदर्भ में, उद्योग एल. टी./एच. टी. श्रेणी के अंतर्गत आएगा, यदि यह 22 केवीए की अनुबंध मांग के साथ औद्योगिक उत्पादन के लिए आपूर्ति से संबंधित है और

ऊपर लेकिन 110 केवीए से नीचे। हालाँकि, यह विनियमन 80 (10) के तहत एक "बड़ा उद्योग" बन जाएगा यदि यह 110 केवीए और उससे अधिक लेकिन 25,000 केवीए से कम की अनुबंध मांग वाले उद्योग को बिजली की आपूर्ति से संबंधित है। एक बार श्रेणी खड़ी हो जाती है

बिजली की अत्यधिक खपत के कारण परिवर्तित, शुल्क और अन्य शर्तें स्वचालित रूप से बदल जाएंगी। लाइसेंसधारी को विनियमन 82 के तहत उपभोक्ता को फिर से वर्गीकृत करने का अधिकार है यदि यह पाया जाता है कि किसी उपभोक्ता को गलती से किसी विशेष श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है या समझौते में उल्लिखित आपूर्ति का उद्देश्य बदल गया है या बिजली की खपत उस श्रेणी की सीमा से अधिक हो गई है आदि। द.

आपूर्ति की शर्तें भी एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाती हैं

उपभोक्ता द्वारा अत्यधिक बिजली की खपत।

66. आपूर्ति की शर्तों का विनियम 106 निम्नानुसार हैः

" 106. कोई भी उपभोक्ता स्वीकृत अनुबंध मांग से अधिक बिजली का उपयोग नहीं करेगा या किसी उद्देश्य के लिए बिजली का उपयोग नहीं करेगा। उस समझौते के अलावा जिसके लिए समझौता निष्पादित किया गया है या लाइसेंसधारी से बेईमानी से अमूर्त शक्ति होगी।

प्रणाली।

67. आपूर्ति के नियमों और शर्तों के संचयी पठन पर, पक्षों और आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. के बीच निष्पादित अनुबंध।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

2003 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की खपत 2003 के अधिनियम की धारा 126 के संदर्भ में "बिजली का अनधिकृत उपयोग" होगी। यह, हम इस कारण से भी कहते हैं कि बिजली की अधिक निकासी अनुबंध के नियमों और शर्तों और वैधानिक शर्तों का उल्लंघन है, इसके अलावा इस तरह की अधिक निकासी बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल है, क्योंकि यह पूरी आपूर्ति प्रणाली को गियर से बाहर फेंकने की संभावना है, इसकी दक्षता, प्रभावकारिता को कम करता है और यहां तक कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव भी बढ़ जाता है।

XXX

XXX

XXX

71. स्वीकृत भार से अधिक खपत का उल्लंघन है

समझौते के नियमों और शर्तों के साथ-साथ वैधानिक लाभ। स्पष्टीकरण (ख) (iv) के तहत, "बिजली का अनधिकृत उपयोग" का अर्थ है यदि बिजली का उपयोग किसी कार्य के लिए किया गया था।

इसके अलावा अन्य उद्देश्य जिसके लिए बिजली का उपयोग अधिकृत था। स्पष्टीकरण (ख) (iv), इस प्रकार, उन मामलों को भी शामिल करेगा जहां बिजली की खपत अधिक हो रही है।

स्वीकृत भार, विशेष रूप से जब यह परिवर्तन के बराबर होता है

श्रेणी और शुल्क। जैसा कि समझौता विलेख से स्पष्ट है, प्रत्यर्थी को बिजली का कनेक्शन एक पर दिया गया था

संविदात्मक शर्त कि वह 22 केवीए से अधिक बिजली का उपभोग करेगा लेकिन 110 केवीए से अधिक नहीं। स्थिति में नकारात्मक भाषा का उपयोग ही इरादे की घोषणा करता है

उन पक्षों में से जिनमें एक निहित निषेध था

अधिकतम भार से अधिक बिजली का उपभोग करना भी अपने आप में प्रतिकूल होगा। इतना ही नहीं, विनियम 82 और 106 की भाषा में यह भी निर्धारित किया गया है कि उपभोक्ता से अनुबंध की स्वीकृत मांग से अधिक बिजली का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, अन्यथा यह "बिजली के अनधिकृत उपयोग" के दायरे में आने वाले उपयोगकर्ता का परिवर्तन होगा।

72. पुनः, इस न्यायालय के पास देने का कोई अवसर नहीं है

धारा 126 के स्पष्टीकरण (ख) (iv) की भाषा के लिए प्रतिबंधित अर्थ। प्रतिवादी की ओर से पेश विद्वान वकील के अनुसार, यह केवल उपयोग के उद्देश्य में वास्तविक परिवर्तन है बिजली और श्रेणी का परिवर्तन नहीं जो 2003 के अधिनियम की धारा 126 के प्रावधानों को आकर्षित करेगा। विवाद यह है कि जहां बिजली एक घरेलू [2022] 9 एस. सी. आर. के लिए प्रदान की गई थी।

औद्योगिक उद्देश्य या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है उद्देश्य, तब अकेले यह उपयोगकर्ता के परिवर्तन के बराबर होगा या

उद्देश्य। अतिरिक्त भार के मामले इसमें नहीं आएंगे।

श्रेणी। यह तर्क फिर से बिना किसी सार के है और, वास्तव में, केवल अस्वीकार किए जाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

XXX

XXX

XXX

87. निर्णायक रूप से निपटने और जवाब देने के बाद

निर्णय में बनाए गए प्रश्न, हम इसे आवश्यक मानते हैं

हमारे निर्णय के निष्कर्षों को सटीक रूप से दर्ज करें जो हैं

इस प्रकार हैः

1. जहाँ कहीं भी उपभोक्ता की शर्तों का उल्लंघन करता है

अधिनियम द्वारा करार, विनियम और प्रावधान

स्वीकृत से अधिक बिजली का उपभोग करना और

जुड़ा हुआ भार, ऐसा उपभोक्ता "दोष में और कम" होगा

दायित्व "धारा 126 के दायरे और दायरे के भीतर

2003 एक्ट करें।

2. अभिव्यक्ति "बिजली के अनधिकृत उपयोग का अर्थ है"

2003 के अधिनियम की धारा 126 में प्रकट होना एक अभिव्यक्ति है -

व्यापक अर्थ और उद्देश्यपूर्ण रूप से अर्थ लगाया जाना चाहिए

ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक व्याख्या के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य। अतिरिक्त भार के मामले

जुड़े हुए भार की तुलना में खपत अन्य बातों के साथ घट जाएगी।

2003 के अधिनियम की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) के तहत,

इसके अलावा यह विनियम 82 और 106 का उल्लंघन है

समझौते के नियम और शर्तें।

54. कानून के सिद्धांत जो उपरोक्त से स्पष्ट हो सकते हैं -

इसका वर्णन इस प्रकार हैः

(1) धारा 127 के साथ पठित धारा 126 के प्रावधान

003 अपने आप में एक कोड बन जाते हैं। यह विशेष रूप से उस राशि के विच्छेदन की विधि प्रदान करता है जो एक उपभोक्ता बिजली की भारी खपत और सीमेंट कार्यवाही के संचालन के तरीके के लिए भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अधिनियम 2003 की धारा 126 अधिनियमित की गई है।

इसे प्राप्त करने का एक उद्देश्य अर्थात इस पर एक निहित प्रतिबंध लगाना

बिजली की कम खपत।

(2) अधिनियम 2003 की धारा 126 का उद्देश्य प्रावधान करना है।

बेईमान तत्वों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग की जांच करने के लिए आदेश।

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस। वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

(3) अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधानों की सहायता से हासिल किया जाने वाला उद्देश्य दुरुपयोग को रोकना सुनिश्चित करना है। बिजली के अनधिकृत उपयोग के साथ-साथ राजस्व हानि की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए।

(4) बिजली की ओवरड्रॉवल जनता के लिए प्रतिकूल है

बड़ा, क्योंकि यह पूरी आपूर्ति प्रणाली को गियर से बाहर फेंकने की संभावना है, जिससे इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और यहां तक कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव भी कम हो जाएगा।

(5) 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' अभिव्यक्ति का अर्थ है जैसा कि अधिनियम 2003 की धारा 126 में दिखाई देता है। यह एक व्यापक अभिव्यक्ति है

55. सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले को पढ़ने और फिर से पढ़ने के बाद, हम अपने मन में स्पष्ट हैं कि न्यायालय ने अपने विवादित निर्णय में एक अपवाद बनाया है, जिसे अधिनियम 2003 की धारा 126 (6) में स्थान नहीं मिलता है। ऊपर निर्दिष्ट सीताराम राइस मिल (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय के पैरा 18 और 37 के जवाब में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अधिनियम 2003 की धारा 126 और 127 का जवाब एक साथ पढ़कर अपने आप में एक पूर्ण संहिता का गठन करते हैं। उक्त निर्णय के पैरा 50 में कहा गया है कि धारा 126 का उद्देश्य बिजली के दुरुपयोग/अनधिकृत उपयोग को रोकना सुनिश्चित करना है। ऊपर उल्लिखित सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) का पैरा 61 तस्वीर को बहुत स्पष्ट करता है।

56. ऊपर उल्लिखित सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) के पैरा 67 में, यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि बिजली की खपत से अधिक

स्वीकृत/जुड़ा हुआ भार अधिनियम 2003 की धारा 126 के संदर्भ में 'बिजली का अनधिकृत उपयोग' होगा। हमारे अनुसार, सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां, जैसा कि पैरा 67 में निहित है, मामले की जड़ तक जाती हैं। पैरा 67 में सीताराम चावल मिल (ऊपर) इतने शब्दों में कहा गया है कि बिजली की अधिक निकासी अनुबंध के नियमों और शर्तों और वैधानिक शर्तों का उल्लंघन है, इसके अलावा इस तरह की अधिक निकासी [2022] 9 एस. सी. आर. में जनता के लिए प्रतिकूल है।

बड़ा, क्योंकि यह पूरी आपूर्ति प्रणाली को गियर से बाहर फेंकने की संभावना है जो इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और यहां तक कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को कम कर रहा है। उच्च न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। यह केवल उसी परिसर में और उसी उद्देश्य के लिए स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की ओवरड्रॉवल का मामला नहीं है, जिसमें शुल्क में कोई बदलाव शामिल नहीं है सेवाओं की प्रासंगिक श्रेणी के लिए लागू। लागू शुल्क समान रह सकता है; अधिक निकासी एक ही परिसर में हो सकती है और उसी उद्देश्य के लिए, राजस्व का कोई नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन इससे बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक बिजली की अधिक निकासी पूरी आपूर्ति प्रणाली को बाधित कर सकती है, जिससे इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और यहां तक कि वोल्टेज की बढ़ती मांग भी कम हो सकती है।

57. सीताराम राइस मिल (ऊपर) के पैरा 72 में एक विवाद था -

उपभोक्ता द्वारा उठाया गया कि यह केवल उपयोग के उद्देश्य में वास्तविक परिवर्तन है बिजली जो अधिनियम 2003 की धारा 126 को आकर्षित करेगी। विवाद यह था कि जहां बिजली घरेलू उद्देश्य के लिए प्रदान की गई थी, लेकिन वास्तव में औद्योगिक या वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए उपयोग की गई थी, तो अकेले यह उपयोगकर्ता या उद्देश्य में परिवर्तन के बराबर होगी और तदनुसार

यह तर्क दिया गया कि अतिरिक्त भार के उपयोग का मामला इस श्रेणी में नहीं आएगा। इस न्यायालय ने पैरा 72 में उक्त तर्क को खारिज कर दिया। पैरा 72 निम्नलिखित रूप में बताता है:

" 72. पुनः, इस न्यायालय के पास देने का कोई अवसर नहीं है

के स्पष्टीकरण (बी) (iv) की भाषा के लिए प्रतिबंधित अर्थ धारा 126। पेश हुए विद्वान वकील के अनुसार

बिजली का और श्रेणी का परिवर्तन नहीं जो आकर्षित करेगा 2003 के अधिनियम की धारा 126 के प्रावधान। विवाद

कि जहाँ बिजली एक घरेलू के लिए प्रदान की गई थी

उद्देश्य, तब अकेले यह उपयोगकर्ता के परिवर्तन के बराबर होगा या उद्देश्य। अतिरिक्त भार के मामले इसमें नहीं आएंगे।

श्रेणी। यह तर्क फिर से बिना किसी सार के है और,

वास्तव में, केवल अस्वीकार किए जाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। "

(जोर दिया गया)

58. सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) के पैरा 72 को ध्यान में रखते हुए

ऊपर, यह कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. में आने में गलती की है।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

निष्कर्ष यह है कि उपभोक्ता से दो बार ऊर्जा शुल्क नहीं लिया जा सकता है यदि उपभोक्ता उसी परिसर में स्वीकृत/जुड़े हुए भार से अधिक का उपयोग करता है और उसी उद्देश्य के लिए, जिसमें शुल्क में कोई बदलाव शामिल नहीं है। सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) के पैरा 87 (2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जुड़े हुए भार के मामलों में खपत अधिनियम 2003 की धारा 126 के स्पष्टीकरण (बी) (iv) में आती है।

59. पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड बनाम में यह न्यायालय। विश्व कैलीबर बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड ने (2010) 4 एस. सी. सी. 539 में पंजाब राज्य विद्युत नियामक पर विचार करने का अवसर प्राप्त किया।

आयोग (फोरम और लोकपाल) विनियम, 2005। उक्त मामले में, एक खंड पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने लोकपाल, बिजली, पंजाब के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसने बदले में विवाद निपटान के फैसले को उलट दिया था। प्राधिकरण और अग्रिम उपभोग जमा (ए. सी. डी.) के लिए प्रतिवादी से बरामद राशि की वापसी का निर्देश दिया।

सेवा कनेक्शन शुल्क और भार अधिभार। पैरा 13,14 और 15 में इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

" 13. हमने विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और उनसे सहमत हैं कि अधिनियम या अपीलार्थी द्वारा बनाए गए विनियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में, लोकपाल ने निर्देश देकर अधिकार क्षेत्र में त्रुटि की है।

बिजली के अनधिकृत उपयोग को नियमित करना प्रत्यर्थी और अपीलार्थी द्वारा ली गई कथित अतिरिक्त राशि की वापसी।

14. यह तथ्य कि अपीलार्थी 66 केवी उप-स्टेशन, जी. टी. रोड, लुधियाना से 8 एम. वी. ए. भार के हस्तांतरण के लिए आवश्यक ट्रांसफॉर्मर की अनुपलब्धता के कारण 2548 किलोवाट के भार के साथ कनेक्शन जारी नहीं कर सका, का प्रत्यर्थी द्वारा बिजली की खपत के मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। स्वीकृत भार। निर्विवाद रूप से, किए गए अनुरोध के संदर्भ में

प्रतिवादी द्वारा, मुख्य अभियंता ने 1500 किलोवाट के भार के साथ मौजूदा प्रणाली पर कनेक्शन को मंजूरी दी थी, लेकिन प्रतिवादी ने 481.637 किलोवाट के अतिरिक्त भार का उपयोग किया और यह विद्युत ऊर्जा का अनधिकृत उपयोग था।

15. यह भी विवाद में नहीं है कि एक नए ट्रांसफॉर्मर की स्थापना के बाद, प्रतिवादी शेष भार [2022] 9 एस. सी. आर. का लाभ नहीं उठा सका।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

छह महीने के निर्धारित समय के भीतर और जब प्राधिकरण

23-5-2002 , इसके प्रतिनिधि ने नया ए एंड ए फॉर्म जमा करने से इनकार कर दिया। शेष भार को छोड़ने के लिए आवश्यक। यह वह है

स्थिति, दोष, यदि कोई हो, शेष भार को जारी न करने के लिए

प्रत्यर्थी और लोकपाल के दरवाजे पर लेट जाएँ

अपीलार्थी को धनवापसी का निर्देश देकर गंभीर त्रुटि की

प्रत्यर्थी से एकत्र की गई कथित अतिरिक्त राशि

स्वीकृत राशि के अतिरिक्त बिजली के उपयोग का लेखा-जोखा

लोड करें "।

(जोर दिया गया)

60. इस प्रकार, उपरोक्त मामले में, अतिरिक्त भार

481.637 के. डब्ल्यू. का मूल्यांकन विद्युत ऊर्जा के अनधिकृत उपयोग के रूप में किया गया था।

कोड 2014 का विनियमन 153 (15)

61. अब हम प्रस्तुति के मुख्य अंग को देखेंगे।

उपभोक्ताओं की ओर से प्रचार किया गया कि विनियमन 153 (15) संहिता 2014 सभी अंतर पैदा करती है और सीताराम चावल मिल (ऊपर) में प्रस्तावित अनुपात और सिद्धांतों को संहिता 2014 के विनियमन 153 (15) के आलोक में समझा जाना चाहिए। हमने अपने निर्णय के पहले भाग में संहिता 2014 के विनियम 153 (15) का हवाला दिया है। हम संहिता 2014 के विनियमन 153 (15) की प्रयोज्यता के संबंध में उपभोक्ताओं की ओर से प्रचार किए गए प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। संहिता 2014 अधिनियम 2003 की धारा 181 (x) के साथ पठित धारा 50 के तहत तैयार की गई है।

62. उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में यह न्यायालय

और अन्य वी। अनीस अहमद ने (2013) 8 एस. सी. सी. 491 में बताया कि आपूर्ति संहिता अधिनियम 2003 की धारा 126 के तहत 'बिजली के अनधिकृत उपयोग' के लिए शुल्क के मूल्यांकन के लिए प्रावधान नहीं कर सकती है और न ही यह संबंधित है। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 53 और 54 में निम्नलिखित उत्तर दिए गए हैं:

" 53. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 50 बिजली को सशक्त बनाती है।

राज्य आयोग एक विद्युत आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करेगा

बिजली शुल्क की वसूली, बिलिंग के लिए अंतराल प्रदान करना।

बिजली शुल्क, क्षति को रोकने के उपाय

विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन या मीटर, वितरण का प्रवेश अनुज्ञप्तिधारी, आदि और यह निम्नानुसार हैः

केरल राज्य विद्युत बोर्ड और ओआरएस। वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

" 50. विद्युत आपूर्ति कोड। - राज्य आयोग

प्रदान करने के लिए एक विद्युत आपूर्ति संहिता निर्दिष्ट करेगा

बिजली शुल्क की वसूली, बिलिंग के लिए अंतराल

बिजली शुल्क, बिजली की आपूर्ति काटना

उसका भुगतान न करने पर, बिजली की आपूर्ति बहाल करने के लिए,

छेड़छाड़, संकट या क्षति को रोकने के लिए उपाय

विद्युत संयंत्र या विद्युत लाइन या मीटर, का प्रवेश

वितरण लाइसेंसधारी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति

आपूर्ति बंद करने और मीटर को हटाने के लिए, प्रवेश के लिए

विद्युत लाइनों या विद्युत लाइनों को बदलना, बदलना या बनाए रखना

पौधे या मीटर और इस तरह के अन्य मामले।

54. धारा 50 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि

वसूली के लिए बिजली आपूर्ति संहिता के प्रावधान किए जाने हैं। बिजली शुल्क, बिजली शुल्क का बिलिंग,

डिस्कनेक्शन, आदि और छेड़छाड़ को रोकने के उपाय,

विद्युत संयंत्र या लाइन या मीटर, आदि को संकट या क्षति। लेकिन उक्त संहिता में इससे संबंधित प्रावधान प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

अनाधिकृत उपयोग के लिए शुल्क के मूल्यांकन से संबंधित नहीं है।

धारा 126 के तहत बिजली "या उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।

धारा 135 से 140 के तहत "अपराध" करने वाले

विद्युत अधिनियम, 2003।

(जोर दिया गया)

63. इस प्रकार, संहिता 2014 के विनियमन 153 (15) पर निर्भरता तैयार की गई

प्रत्यर्थी (उपभोक्ता) द्वारा अधिनियम 2003 की धारा 50 के तहत

पूरी तरह से गलत धारणा है, क्योंकि यह अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। किसी भी स्थिति में, विनियमन 153 (15) अधिनियम 2003 की धारा 126 और धारा 50 के जवाब से बहुत आगे जाता है। यह तय कानून है कि विनियमन बनाने की शक्ति का उपयोग मूल अधिकारों को अस्तित्व में लाने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिन पर अधिनियम 2003 के तहत विचार नहीं किया गया है।

64. इस स्तर पर नियम बनाने के बारे में बताना उचित है।

प्रत्यायोजन प्राधिकारी की शक्तियाँ। यदि कोई नियम क़ानून द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से परे जाता है, तो उसे अमान्य घोषित करना होगा। अगर

एक नियम किसी भी प्रावधान को प्रतिस्थापित करता है जिसके लिए शक्ति प्रदान नहीं की गई है, यह अमान्य हो जाता है। मूल परीक्षण शक्ति के स्रोत को निर्धारित करना और उस पर विचार करना है, जो नियम से संबंधित है। इसी तरह, एक नियम मूल क़ानून के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह इससे आगे नहीं जा सकता है।

65. प्रत्यायोजित कानून एक आवश्यकता के रूप में बने रहने के लिए आया है

आधुनिक प्रशासनिक प्रक्रिया का घटक। इसलिए, आज सवाल यह नहीं है कि प्रत्यायोजित कानून होना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि इसे उचित नियंत्रणों के तहत संचालित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रशासन को दी गई शक्ति का उचित उपयोग किया जाए; संस्थान के लाभों का उपयोग किया जा सके, लेकिन इसके नुकसान को कम किया जा सके। पराधिकार के सिद्धांत में परिकल्पना की गई है कि एक नियम बनाने वाली संस्था को ऐसा करना चाहिए मूल अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त नियम बनाने के अधिकार के दायरे में कार्य करना। चूँकि नियम या विनियम बनाने वाले निकाय के पास नियम बनाने की अपनी कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है, लेकिन ऐसी शक्ति केवल क़ानून से प्राप्त होती है, इसलिए उसे अनिवार्य रूप से क़ानून के दायरे में कार्य करना पड़ता है। प्रत्यायोजित कानून को मूल अधिनियम के दायरे से परे नहीं जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है, तो यह अल्ट्रा वायर्स है और इसका कोई प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। पराधिकार कई तरीकों से उत्पन्न हो सकते हैं; मूल अधिनियम द्वारा जो प्रदान किया जाता है उस पर शक्ति की साधारण अधिकता हो सकती है; प्रत्यायोजित कानून हो सकता है

मूल अधिनियम या क़ानून या सामान्य कानून के प्रावधानों के साथ असंगत; मूल अधिनियम में निर्धारित प्रक्रियात्मक आवश्यकता का गैर-अनुपालन हो सकता है। यह अदालतों का कार्य है कि वे सभी अधिकारियों को कानून की सीमा के भीतर रखते हुए अति अधिकार के सिद्धांत की आपूर्ति करें।

66. इस संदर्भ में, हम जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और अनदर वी में निर्णय को लाभ के साथ संदर्भित कर सकते हैं। डॉ. सुभाष

चंद्र यादव और एक अन्य ने (1988) 2 एस. सी. सी. 351 में रिपोर्ट किया, जिसमें यह निम्नानुसार आयोजित किया गया हैः

" 14. ..... इससे पहले कि कोई नियम किसी वैधानिक का प्रभाव डाल सके

प्रावधान, दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए, अर्थात्, (1) यह उस क़ानून के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए जिसके तहत यह है

और (2) यह नियम बनाने वाले प्राधिकारी की नियम बनाने की शक्ति के दायरे और दायरे में भी आना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो इस तरह से बनाया गया नियम अमान्य हो जाएगा।

67. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (रेव.) दिल्ली प्रशासन। वी. सिरी राम ने (2000) 5 एस. सी. सी. 451 में बताया, यह निर्णय दिया गया है कि यह एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त सिद्धांत है कि एक द्वारा शासन बनाने की शक्ति प्रदान करना अधिनियम नियम बनाने वाले प्राधिकारी को ऐसा नियम बनाने में सक्षम नहीं बनाता है जो सक्षम करने वाले अधिनियम के दायरे से परे है या जो उससे असंगत या प्रतिकूल है।

68. सुखदेव सिंह और अन्य बनाम। भगतराम सरदार सिंह अघुवंशी और एक अन्य ने (1975) 1 एस. सी. सी. 421 में रिपोर्ट किया,संस्थान पीठ ने अभिनिर्धारित किया है किः

" 18. ..... ये वैधानिक निकाय विधानमंडल द्वारा इच्छित दायरे से परे शक्तियों को बढ़ाने के लिए नियम और विनियम बनाने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नियम और विनियम बनाने के लिए क़ानून द्वारा प्रदत्त विशिष्ट शक्ति के कारण बनाए गए नियम और विनियम आचरण के पैटर्न को स्थापित करते हैं

पीछा किया।

69. कर्नाटक राज्य में और एक अन्य v. एच. गणेश कामत डी. अन्य ने (1983) 2 एस. सी. सी. 402 में बताया कि यह कहा गया हैः

" 7. यह क़ानूनों की व्याख्या का एक सुव्यवस्थित सिद्धांत है।

कि किसी अधिनियम द्वारा नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने से नियम बनाने वाला प्राधिकारी ऐसा नियम बनाने में सक्षम नहीं होता है जो सक्षम करने वाले अधिनियम के दायरे से परे हो या जो उससे असंगत हो या उसके प्रतिकूल हो।

70. कुंज बिहारी लाल बुटैल और अन्य बनाम। एच. पी. डी. की स्थिति अन्य ने (2000) 3 एस. सी. सी. 40 में बताया, यह इस प्रकार शासित किया गया हैः

" 13. विधायिका के लिए एक सामान्य नियम प्रदान करना बहुत आम है-उद्देश्य को पूरा करने के लिए शक्ति बनाना

एक्ट करें। जब ऐसी शक्ति दी जाती है, तो अधिनियम के उद्देश्य का पता लगाना और फिर यह देखना अनुमत हो सकता है कि क्या बनाए गए नियम इस तरह से बनाए जाने की कसौटी को पूरा करते हैं कि वे ऐसी सामान्य शक्ति के दायरे में आते हैं जिसकी पुष्टि की गई है। यदि नियम बनाने की शक्ति को इस तरह के सामान्य रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है तो यह देखना होगा कि क्या बनाए गए नियम द्वारा संरक्षित हैं

मूल अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाएँ।

71. सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद और एक अन्य ने रिपोर्ट किया

003) 3 एस. सी. सी. 321, यह देखा गया है किः

" 10. एक विनियमन एक नियम या आदेश है जो किसी व्यवसाय के प्रबंधन के लिए एक वरिष्ठ द्वारा निर्धारित किया जाता है और कार्रवाई के सामान्य पाठ्यक्रम के लिए एक नियम का तात्पर्य है। नियम और विनियम सभी प्रत्यायोजित विधान में शामिल हैं। अधीनस्थ विधान बनाने की शक्ति सक्षम अधिनियम से प्राप्त होती है और यह मौलिक है कि वह प्रतिनिधि जिस पर ऐसी शक्ति [2022] 9 एस. सी. आर. है।

प्रदत्त को प्रदत्त अधिकार की सीमाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है

अधिनियम द्वारा। प्रावधानों को बदलने के लिए नियम नहीं बनाए जा सकते हैं।

सक्षमकारी अधिनियम का लेकिन इसके पूरक के लिए। इसकी क्या अनुमति है

सहायक या अधीनस्थ विधायी का प्रतिनिधिमण्डल

कार्य, या, जिसे काल्पनिक रूप से कहा जाता है, भरने की शक्ति

विवरण "।

72. ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड में और एक अन्य वी। केंद्रीय विद्युत विलंब आयोग ने (2009) 15 एस. सी. सी. 570 में रिपोर्ट की, यह न्यायालय आंतरिक विद्युत नियामक आयोग (प्रक्रिया, नियम और शर्तें) के विनियमन 6-ए के खंड (बी) और (एफ) की वैधता पर विचार कर रहा है।व्यापार लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए अनुदान, 2004। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में व्यक्त कियाः

सामान्य प्रतिनिधि मंडल। ऐसा सामान्य प्रतिनिधिमंडल नहीं हो सकता है किसी भी दिशानिर्देश को निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस प्रकार, केवल इस तरह के प्रावधान के कारण, विनियमन बनाने की शक्ति नहीं हो सकती है

प्रयोग किया जाए ताकि मूल अधिकार अस्तित्व में आ सकें

या दायित्व या अक्षमताएँ जिन पर विचार नहीं किया गया है

उक्त अधिनियम के प्रावधानों की शर्तें।

73. उपरोक्त मामले में, प्रत्यायोजित शक्ति, प्रत्यायोजित विधान और कानून की आवश्यकता के बारे में आगे चर्चा करते हुए,

एनच ने इस प्रकार देखाः

" 73. इस ढांचे से निकलने वाली कानून की छवि इसकी तटस्थता और वस्तुनिष्ठता हैः क्षेत्र रखने के लिए कानून की क्षमता

सामान्य निर्णय-की विवेकाधीन शक्ति के बाहर करना जो सरकारी शक्ति का उपयोग करते हैं। कानून को यह आश्वासन देकर "कानूनी सुरक्षा" का एक बुनियादी स्तर प्रदान करना होगा कि कानून जानकार, भरोसेमंद और अत्यधिक हेरफेर से सुरक्षित है। नियम बनाने की प्रतियोगिता में प्रत्यायोजित विधान स्थापित किया जाना चाहिए।

संरचनात्मक स्थितियाँ जिनके भीतर वे प्रक्रियाएँ कर सकती हैं

प्रभावी ढंग से कार्य करें। जो सवाल पूछा जाना चाहिए वह है

क्या प्रत्यायोजित विधान तर्कसंगतता को बढ़ावा देता है और

उत्तरदायी नीति कार्यान्वयन। जबकि हम ऐसा कहते हैं, हम न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा से अनजान नहीं

विधायी अधिनियम। लेकिन, हमने इसे बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए हैं

हम स्वयं प्रसिद्ध मानदंडों के भीतर सीमित हैं। ' आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस.

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

74. इस संदर्भ में, टी. एन. और अन्य वी. के एक अंश का उल्लेख करना उचित होगा। पी. कृष्णमूर्ति और अन्य ने रिपोर्ट किया

006) 4 एस. सी. सी. 517 जिसमें यह इस प्रकार आयोजित किया गया हैः

" 16. अधीनस्थ की वैधता पर विचार करने वाला न्यायालय

विधान को सक्षम अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना पर विचार करना होगा, और उस क्षेत्र पर भी विचार करना होगा जिस पर अधिनियम के तहत शक्ति प्रत्यायोजित की गई है और फिर यह तय करना होगा कि अधीनस्थ विधान मूल क़ानून के अनुरूप है या नहीं। जहाँ कोई नियम क़ानून के अनिवार्य प्रावधान के साथ सीधे असंगत है, तो निश्चित रूप से, न्यायालय का कार्य सरल और आसान है। लेकिन जहां विवाद यह है कि असंगति या

नियम की गैर-अनुरूपता सक्षम अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उद्देश्य और योजना के साथ है।

मूल अधिनियम के तहत, अदालत को पहले सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए

अयोग्यता घोषित करना "।

75. प्रताप चंद्र मेहता बनाम। मध्य प्रदेश राज्य विधिज्ञ परिषद और अन्य ने (2011) 9 एस. सी. सी. 573 में विस्तृत अर्थ प्रदान करने पर चर्चा करते हुए यह राय दी है किः

" 58. ..... न्यायालय को यह प्रावधान देना उचित होगा कि

अधिनियम के उद्देश्य को कायम रखने के लिए उद्देश्यपूर्ण निर्माण,

यह सुनिश्चित करते हुए कि बनाए गए ऐसे नियम क्षेत्र के भीतर हैं

मूल अधिनियम द्वारा सीमित। यह भी स्पष्ट है कि यह नहीं हो सकता है

हमेशा दिशानिर्देशों को स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल आवश्यक होना चाहिए

प्रत्यायोजित विधान, जब विवेकाधिकार इस प्रकार में निहित हो

प्रतिनिधि निकाय। ऐसे मामलों में, बनाए गए नियम की भाषा के साथ-साथ जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई थी,

न्यायालय द्वारा विचार किए जाने वाले प्रासंगिक कारक हों।

76. डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम। अध्यक्ष, बिहार

स्लेटिव काउंसिल और अन्य ने (2004) 8 एस. सी. सी. 747 में रिपोर्ट किया, इस टी ने प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा को इस प्रकार समझायाः

" 13. ..... प्रत्यायोजित विधान की अवधारणा का आधार मूल सिद्धांत है जिसे विधायिका प्रतिनिधि करती है क्योंकि यह

हर विस्तार से अपनी इच्छा का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। व्यवहार में यह केवल रूपरेखा निर्धारित कर सकता है। इसका मतलब है कि विधायिका का इरादा, जैसा कि रूपरेखा (जो कि सक्षम करने वाला अधिनियम है) में इंगित किया गया है, प्रत्यायोजित विधान के अर्थ और इसे बनाने की शक्ति की सीमा के लिए प्रमुख मार्गदर्शक होना चाहिए।

शक्ति की सीमा प्रत्यायोजित विधान के कानूनी अर्थ को नियंत्रित करती है। प्रतिनिधि का इरादा इससे अधिक व्यापक यात्रा करने का नहीं है। विधायिका का उद्देश्य। प्रतिनिधि का कार्य उस उद्देश्य की सेवा और प्रचार करना है, जबकि हर समय उसके प्रति सच्चा रहना है। यही प्राथमिक इरादे का नियम है। द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति

एक अधिनियम विनियमों द्वारा प्राधिकरण को अधिनियम के दायरे या सामान्य संचालन का विस्तार करने में सक्षम नहीं बनाता है, लेकिन यह सख्ती से सहायक है। यह क़ानून में जो अधिनियमित किया गया है उसे लागू करने के लिए सहायक साधनों के प्रावधान को अधिकृत करेगा और इसके विशिष्ट प्रावधान के निष्पादन के लिए जो आकस्मिक है उसे शामिल करेगा। लेकिन ऐसी शक्ति अधिनियम के उद्देश्यों को व्यापक बनाने, उन्हें पूरा करने के नए और अलग-अलग साधनों को जोड़ने या इसके उद्देश्यों से अलग होने या बदलने के प्रयासों का समर्थन नहीं करेगी। (फ्रांसिस में अध्याय "प्रत्यायोजित विधान" में धारा 59 देखें।

बेनिओन की सांविधिक व्याख्या, तीसरा संस्करण।) ..... '

77. मैकलेडॉनी बनाम। फोर्ड ने (1971) ए. सी. 632 में बतायाः (1969) आर 179, लॉर्ड डिप्लॉक ने इस क्षेत्र में न्यायालयों की भूमिका को संक्षिप्त शब्दों में समझायाः

" विधान के संबंध में संसद और न्यायालयों के बीच कार्यों का विभाजन स्पष्ट है। संसद कानून बनाती है और ऐसा करने के लिए अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा कुछ अधीनस्थों को सौंप सकती है।

प्राधिकरण। अदालतें कानूनों का अर्थ लगाती हैं कि क्या उनके द्वारा बनाया गया है

संसद प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यायोजित विधायी शक्तियों के तहत कार्य करने वाले अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा। इस बारे में न्यायालयों का दृष्टिकोण

चाहे विशेष वैधानिक या अधीनस्थ विधान हो

सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा देना या बाधित करना अप्रासंगिक है। द.

न्यायालयों का निर्णय कि वैधानिक में किन शब्दों का उपयोग किया गया है

या अधीनस्थ विधान का मतलब निर्णायक है। जहाँ प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार बनाए गए अधीनस्थ विधान की वैधता

संसद के अधिनियम द्वारा एक अधीनस्थ प्राधिकारी को चुनौती दी जाती है, न्यायालय के पास तीन गुना कार्य होता हैः सबसे पहले, अधीनस्थ विधान का वर्णन करने के लिए स्वयं संसद के अधिनियम में उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ निर्धारित करना, जिसे वह प्राधिकरण अधिकृत करता है।

बनाने के लिए, दूसरा, का अर्थ निर्धारित करने के लिए

अधीनस्थ विधान स्वयं और अंत में यह तय करने के लिए कि क्या अधीनस्थ विधान उस विवरण का अनुपालन करता है।

78. अधिनियम के उद्देश्य को पूरा करने वाले नियम या विनियम बनाकर कानून बनाने की प्रत्यायोजित शक्ति, केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओआरएस के बिना एक सामान्य प्रतिनिधिमंडल है।

किसी भी दिशा-निर्देश को निर्धारित करना; इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि मूल अधिकारों या दायित्वों या अक्षमताओं को अस्तित्व में लाया जा सके।

अधीनस्थ विधान की वैधता पर विचार करते हुए, विचार करना होगा सक्षम अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना, और यह भी कि अधिनियम के तहत किस क्षेत्र पर शक्ति प्रत्यायोजित की गई है और फिर यह तय करें कि अधीनस्थ विधान मूल क़ानून के अनुरूप है या नहीं।

79. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहां कोई नियम या विनियमन क़ानून के अनिवार्य प्रावधान के साथ सीधे असंगत है, तो निश्चित रूप से, न्यायालय का कार्य सरल और आसान है। लेकिन जहां विवाद यह है कि नियम की विसंगति या गैर-अनुरूपता सक्षम अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उद्देश्य और

मूल अधिनियम की योजना के अनुसार, न्यायालय को इसे अमान्य घोषित करने से पहले सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। 80. सक्षमकारी अधिनियम के प्रावधानों को प्रतिस्थापित करने के लिए नियम या विनियम नहीं बनाए जा सकते हैं, बल्कि इसके पूरक के लिए बनाए जा सकते हैं। सहायक या अधीनस्थ विधायी कार्यों के प्रत्यायोजन की अनुमति है, या जिसे काल्पनिक रूप से विवरण भरने की शक्ति कहा जाता है।

81. सुखदेव सिंह (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने एक नियम और उसके बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए

विनियमन और ऐसे नियमों या विनियमों को तैयार करने के लिए प्रतिनिधि प्राधिकरण की शक्ति ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवलोकन किए हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए और निम्नानुसार उद्धृत करना चाहिए:

" 11. कर्मचारियों की ओर से ये दलीलें हैं। कानून के तहत नियम बनाए जाते हैं। विनियम बनाने की शक्ति का मूल और स्रोत वैधानिक है। नियम स्व-बाध्यकारी होते हैं। विनियमों में कानून की शक्ति होती है क्योंकि वैधानिक अधिकारियों को इसका कोई अधिकार नहीं है -

नियमों से कोई भी विचलन करें।

12. नियम, विनियम, योजनाएं, उप-कानून, वैधानिक शक्तियों के तहत किए गए आदेश सभी प्रत्यायोजित विधान में शामिल हैं।

प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता यह है कि वैधानिक नियमों को सावधानी और सूक्ष्मता के साथ तैयार किया जाता है जब नियम बनाने वाला वैधानिक प्राधिकरण अधिनियम के लागू होने के बाद अधिनियम को विशेष परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। प्रत्यायोजित कानून अनुभव और [2022] 9 एस. सी. आर. के उपयोग की अनुमति देता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

व्यावहारिक संचालन से प्रभावित हितों के साथ परामर्श क़ानूनों से।

XX

XX

X

X

14. अधीनस्थ विधान एक व्यक्ति या निकाय द्वारा बनाया जाता है

किसी कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर। उप-कानून मुख्य रूप से स्थानीय अधिकारियों या समान निकायों द्वारा या द्वारा बनाए जाते हैं।

के आचरण को विनियमित करने के लिए वैधानिक या अन्य उपक्रम

अपने क्षेत्रों के भीतर या अपने उपक्रमों का सहारा लेने वाले व्यक्ति। विनियम उन मामलों के वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं जिनमें

ऐसे किसी भी प्राधिकारी द्वारा वैधानिक शक्ति का प्रयोग वैधानिक नियमों के निर्माण का गठन करता है।
15. एक अधिनियम में "नियम" और "विनियम" शब्दों का उपयोग किया जाता है।

सांविधिक प्राधिकारी की शक्ति को सीमित करना। वैधानिक निकायों की शक्तियां उन कानूनों द्वारा प्राप्त, नियंत्रित और प्रतिबंधित की जाती हैं जो उन्हें बनाते हैं और उनके तहत बनाए गए नियम और विनियम। ऐसे निकायों की अपनी शक्ति से अधिक या अपनी शक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाली कोई भी कार्रवाई अधिकार से बाहर है। इसका कारण यह है कि यह ऐसे निगमों की शक्ति की जड़ तक जाता है और शून्य की घोषणा ही एकमात्र राहत है जो पीड़ित पक्ष को दी जाती है।

XX

XX

X

X

18. एक सांविधिक निकाय या सार्वजनिक प्रशासनिक निकाय या एजेंसी के अधिकार में आम तौर पर ऐसे निकाय के प्रांत के भीतर मामलों के संबंध में नियम और विनियम बनाने या अपनाने की शक्ति शामिल होती है बशर्ते कि ऐसे नियम और विनियम न हों।

प्रासंगिक कानून के साथ असंगत। अमेरिका में एक "सार्वजनिक एजेंसी" को सरकारी या सार्वजनिक कार्यों से संपन्न एजेंसी के रूप में परिभाषित किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसके पीछे सरकार की मंजूरी से कार्य करने का अधिकार है

यह निर्धारित करता है कि कोई सरकारी एजेंसी मौजूद है या नहीं। नियमों और विनियमों में वैधानिक या सार्वजनिक निकायों के वे कार्य शामिल हैं जिनमें विधायी तत्व प्रमुखता से होते हैं। ये वैधानिक निकाय विधानमंडल द्वारा इच्छित दायरे से परे शक्तियों को बढ़ाने के लिए नियम और विनियम बनाने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आर. ए. एल. ए. राज्य विद्युत बोर्ड और ओ. आर. एस. बनाने के लिए क़ानून को प्रदत्त विशिष्ट शक्ति के कारण बनाए गए नियम और विनियम।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

नियम और विनियम पालन किए जाने वाले आचरण के स्वरूप को स्थापित करते हैं। नियम विधिवत रूप से उस विषय के संबंध में बनाए जाते हैं-जिस विषय पर वैधानिक निकाय उस क़ानून की शर्तों के अधीन कार्य करते हैं जिसके तहत उन्हें प्रख्यापित किया जाता है। विनियम कानून के प्रावधानों को लागू करने में सहायता करते हैं। नियमों और विनियमों को वैधानिक निकायों के आदेशों या निर्धारण से इस अर्थ में अलग किया गया है कि आदेश या निर्धारण वे कार्य हैं जिनमें अधिक न्यायिक कार्य और जो एक विशेष वर्तमान से संबंधित है

स्थिति। दूसरी ओर नियम और विनियम वे कार्य हैं जिनमें विधायी तत्व हावी होता है।

XX

XX

X

X

136. विचाराधीन तीन अधिनियमों द्वारा प्रदत्त विनियमन बनाने की शक्ति के तहत बनाए गए विनियम सामान्य खंड अधिनियम में परिभाषित विनियम नहीं हैं। में।

भारतीय कानूनों की व्याख्या करना अनावश्यक है और कभी-कभी अंग्रेजी के प्रावधानों का उल्लेख करना भ्रामक हो सकता है। अधीनस्थ विधान के संबंध में कानून। हमें केवल सामान्य खंड अधिनियम और भारतीय अधिनियम का उल्लेख करना है।

विधायी अभ्यास। यद्यपि "नियम" को एक नियम के रूप में बनाए गए विनियमन को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि विनियमन बनाने की शक्ति तीन संगठनों को प्रदान की गई है। प्रश्न एक नियम बनाने की शक्ति है। भारत में विधायी प्रथा के तहत राज्य को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है और

विनियम बनाने की शक्ति क़ानून द्वारा बनाए गए निकायों या संगठनों को प्रदान की जाती है।

XX

X

X

XX

161. मैंने विभिन्न कानूनों को केवल यह इंगित करने के लिए देखा है कि भारतीय विधायी प्रथा नियमों के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकारें क्या बनाती हैं और विनियम एक क़ानून द्वारा स्थापित किसी भी संस्थान या संगठन द्वारा बनाए जाते हैं और जहां यह इरादा है कि

विनियमन का प्रभाव होना चाहिए क्योंकि कानून स्वयं ऐसा कहता है। इसलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, यह अनावश्यक है और 'विनियमन' शब्द की व्याख्या करने में अंग्रेजी प्रथा का उल्लेख करना भ्रामक भी हो सकता है।

(जोर दिया गया)

82. यदि हमें उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय और आदेश को सही करना है और इसमें सन्निहित सिद्धांतों के अनुरूप लाना है

सीताराम राइस मिल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, तब हमारे पास यह घोषित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है कि आयोग द्वारा बनाई गई संहिता 2014 का विनियमन 153 (15) अधिनियम 2003 की धारा 126 के साथ असंगत है। यदि विनियमन 153 (15) को प्रभावी बनाया जाता है, तो यह अधिनियम 2003 की धारा 126 के उद्देश्य को ही विफल कर देगा। उच्च न्यायालय ने अपने विवादित फैसले में कहा कि विनियमन 153 (15) से राजस्व का कोई नुकसान नहीं होता है। आयोग का रुख यह भी है कि यदि विनियमन 153 (15) को संचालित करने की अनुमति दी जाती है तो राजस्व का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि, हमारा मानना है कि यह केवल राजस्व के नुकसान का सवाल नहीं है। दोहराव की कीमत पर, हम इस तथ्य पर जोर देते हैं कि बिजली की ओवरड्रॉवल बड़े पैमाने पर जनता के लिए प्रतिकूल है

इसकी दक्षता, प्रभावकारिता और यहां तक कि वोल्टेज में उतार-चढ़ाव को कम करते हुए, पूरी आपूर्ति प्रणाली को गियर से बाहर फेंक दें।

83. अभिलेख पर दी गई सामग्री कुछ बहुत ही चौंका देने वाली चीज़ का संकेत देती है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, केरल राज्य में बिजली के कुल अनधिकृत उपयोग का पता 1662 इकाइयों में चला और मूल्यांकन की गई कुल राशि Rs.14,40,82,176/- (केवल चौदह करोड़ चालीस लाख बत्तीस हजार एक सौ छत्तर रुपये) आती है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान संबंधित आंकड़े 1262 और 1875 इकाइयों के उत्तर थे और मूल्यांकन की गई कुल राशि लगभग Rs.10,63,76,776/आती है।

(दस करोड़ साठ लाख छत्तर हजार सात रुपये

- एक सौ छत्तर केवल) और रु। 34,64,80,421 / - (चौंतीस करोड़ चौंसठ लाख अस्सी हजार चार सौ इकतीस रुपये) केवल जवाब देते हैं।

84. अपीलकर्ता बोर्ड द्वारा दायर राजस्व याचिकाओं में, उच्च न्यायालय को यह बताया गया था कि ऊपर निर्दिष्ट सभी तीन वर्षों के लिए निर्धारित कुल राशि Rs.59,69,39,373/- (केवल 59 करोड़ 59 लाख 39 हजार 73 रुपये) थी।

85. उपरोक्त के अलावा, रु। 41,14,858 / - (रुपया

2015-16 और क्षेत्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय (आर. ए. ओ.) निरीक्षण द्वारा जवाब दें। 86. हम वास्तव में आश्चर्यचकित हैं कि उपरोक्त के बावजूद, उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदनों को खारिज करते हुए घोषित किया कि केरल राज्य निर्वाचन बोर्ड और ओआरएस।

वी. थॉमस जोसेफ [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

अतिरिक्त जुड़े हुए भार को नियमित करने या अनुबंध की मांग को बढ़ाने के लिए मौजूदा वितरण के उन्नयन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रणाली।

87. इस स्तर पर हम अधिनियम की धारा 45 (3) (ए) का भी उल्लेख कर सकते हैं।

2003. वही इस प्रकार पढ़ता हैः

" 45. प्रभारों की वसूली करने की शक्ति। %

XX

XX

XX

(3) वितरण द्वारा आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए शुल्क

अनुज्ञप्तिधारी में% शामिल हो सकता है

बिजली की आपूर्ति; "

88. अधिनियम 2003 की धारा 45 (3) (ए) का एक सादा पाठ

उपरोक्त से संकेत मिलता है कि एक वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रमाणित बिजली के लिए शुल्क में आपूर्ति और खपत की गई वास्तविक बिजली के लिए शुल्क के अलावा निश्चित शुल्क शामिल हैं। ऐसी परिस्थितियों में, यह कहा जा सकता है कि शुल्क में निश्चित शुल्क और ऊर्जा शुल्क दोनों शामिल हैं और एक बार जब मूल्यांकन अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि बिजली का अनधिकृत उपयोग हुआ है, तो वह निर्धारण शुल्क को लागू शुल्क के दोगुने के बराबर करने के लिए बाध्य है, जिसमें ऊर्जा शुल्क के लिए देय बकाया भी शामिल है।

89. मामले को समग्र रूप से देखते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि

कि उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 31 (vi) में अभिलिखित निष्कर्ष कानून में टिकाऊ नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे हैं कि विनियमन 153 (15) अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधानों के साथ असंगत होने के कारण इसे अमान्य घोषित किया जाना चाहिए।

90. समीक्षा आवेदनों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश

विशेष रूप से पैरा 10 (i), 10 (ii) और 10 (iii) उत्तर भी इसके द्वारा अलग रखे गए हैं।

91. परिणामस्वरूप, सभी अपीलें सफल हो जाती हैं और इसके लिए अनुमति दी जाती है।

उपरोक्त सीमा तक। उच्च न्यायालय द्वारा जारी घोषणा के रूप में आक्षेपित निर्णय के पैरा 31 (vi) में निहित को इसके द्वारा अलग कर दिया जाता है।

92. संहिता 2014 के विनियम 153 (15) को अमान्य घोषित किया गया है।

अधिनियम 2003 की धारा 126 के प्रावधान के साथ असंगत होना।

93. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

देविका गुजराल

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)